असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 जुलाई, 2018

षोडश विधान-सभा मंगलवार,तिथि 24 जुलाई,2018 ई0
दशम् सत्र 02श्रावण,1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय नेता विरोधी दल ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''दिनांक 23 जुलाई,2018 को कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''दिनांक 23 जुलाई,2018 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :-

1. बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018 को सभा की बैठक 9.00 बजे पूर्वाह्न से हो एवं 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर नियम-43 के तहत विमर्श हो ;
2. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर का सभा पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,संसदीय कार्य ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-4(ii) परन्तुक के अधीन षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय एवं तृतीय सत्र के 230 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तरों की मुद्रित प्रतियाँ सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तरकाल, अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, ...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, उसको जिस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई करने से बच रही है, कोर्ट के आदेश से कार्रवाई करनी पड़ रही है और लगातार जो है बलात्कार की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है । आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गया में किस प्रकार से बच्चियों के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद नालन्दा महोदय और यह मुजफ्फरपुर में लगातार 29 बच्चियों के साथ शोषण किया गया और पी0एम0सी0एच0 की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी दोषी जो है, जो इसमें लिप्त पाये गये हैं, सरकार उसको बचाने का काम कर ही है और लगातार ये जो लॉ एंड की बात करने वाले लोग, सुशासन की बात करने वाले लोग पूरे तरीके से अपराधियों को छूट देने का काम कर रहे हैं और पूरे तरीके से बिहार की जो स्थिति है, वह चरमरायी हुई है । सरकार के पास ऐसा नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल रह गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि राज्य में भी बच्चियां जो हैं, वह निकल सकती है लेकिन स्थिति यह है कि लड़कियां माता-पिता के साथ भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं । इसलिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो लाया गया है, उसको मंजूर किया जाय और इसपर बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के .....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, हाऊस को ऑर्डर में होना चाहिए किसी भी सवाल को उठाने के लिए, नियमावली में प्रावधान है महोदय कि कोई भी प्रश्न को आप उठा सकते हैं, उसके नियमावली में प्रावधान है । उसके आधार पर प्रश्नों को लायें, सरकार उसका उत्तर देगी । सरकार किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है ....

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं । आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और हमलोग उसपर विचार भी करेंगे लेकिन इसको आप 12.00 बजे उठाईयेगा । अभी तो प्रश्न-काल चलने दीजिए न । इसको 12.00 बजे उठाईयेगा न?

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, पूरा बिहार शर्मसार हो गया है, इसको पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि बिहार गैंगरेप का अड्डा हो गया है .....

अध्यक्ष : अभी तो प्रश्नकाल चलने दीजिए न । इसको आप 12.00 बज उठाईयेगा न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, यह स्थिति है कि पुलिस कस्टडी से भी अपराधी भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है । यह गंभीर मसला है महोदय, इसलिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाय और

बिहार जो शर्मसार हो रहा है पूरे देश में, इसकी चर्चा हो रही है और सरकार को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और आये दिन अखबारों में भी इससे संबंधित तरह-तरह की बातें आ रही है । आसन भी चाहता है कि इस विषय का सही निदान हो । लेकिन इसको आप 12.00 बजे उठाईयेगा न, जब कार्य-स्थगन उठाने का समय है । अभी प्रश्न-काल है ।

(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर आपलोगों की सहमति हो तो आपका सही कहना है कि यह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, लड़कियों की इज्जत या लड़कियों की अस्मत से जुड़ी बात है । आप सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए ही इस तरीके से उठाया है । अगर आपकी सहमति हो तो मैं आसन से सरकार को निर्देश दूँगा कि वह कल ही इस संबंध में विस्तृत प्रतिवदेन, विस्तृत वक्तव्य इस सदन में रखे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, सरकार अपना बना-बनाया वक्तव्य दे देती है । उसका कोई महत्व नहीं है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो है, उसको आप स्वयं भी मान रहे हैं कि यह एक अतिसंवेदनशील मामला है, इसलिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाय ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहेब, कार्य-स्थगन पर भी आप जो बहस करेंगे, उसमें भी वक्तव्य और जवाब सरकार का ही होगा । उससे तो सदन कभी बच ही नहीं सकता है । आखिर किसी समय किसी विषय पर किसी घटना पर वक्तव्य तो सरकार का ही आयेगा । सरकार के वक्तव्य को सदन को सुनना चाहिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, अब परम्परा तोड़िए और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कीजिए।

अध्यक्ष : अब आपलोगों का प्रश्न है, आप पहले कल वक्तव्य हो जाने दीजिए ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : सरकार कहां बोल रही है ।

अध्यक्ष : यह तो आसन का निर्देश है, इसको मानना पड़ेगा न ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार जब वक्तव्य देने के लिए तैयार है और इस मामले की गंभीरता को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, आसन का भी निर्देश हुआ है तो विपक्ष के लोग आखिर क्या चाहते हैं, विपक्ष के लोगों का मकसद सिर्फ है हंगामा खड़ा करना, किसी विषय वस्तु से कोई मतलब इनको नहीं है । वे सही चीजों को जानना नहीं चाहते हैं । पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और आसन से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पर जायं और आपने जो निर्देश दिया, सरकार उसका

अक्षरशः पालन करेगी और ऐसे जो भी गंभीर मामला आयेगी, उसके बारे में सरकार जवाब देगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, सरकार ने कहा है कि वह वक्तव्य देगी, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है ।

अभी कैसे, सरकार तैयार करके न देगी ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार न तो किसी को बचाना चाहती है और न फंसाना चाहती है और यह खुलासा आपने नहीं किया है, यह तो राज्य सरकार के द्वारा टाटा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल साईंसेस को नियुक्त किया था कि जितने इस प्रकार के एन0जी0ओ0 के द्वारा चलाये जा रहे गृह हैं, उसकी जॉच करायी जाय और जॉच में कोर्ट के अन्दर जो बातें सामने आयी है, उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को जेल भेजा गया है । कुछ महिलायें जो इस व्यापार में संलग्न थीं, चलाने वाले जो ब्रजेश ठाकुर हैं एवं सात अन्य लोगों को पकड़ कर जेल भेजा गया है और दो लड़कियों ने जब यह कहा कि हत्या करके उसको गाड़ दिया गया है, उसके आधार पर वहां खुदाई की गई अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने थोड़े ही खुलासा किया है।

..... क्रमशः .....

टर्न–2/अंजनी/दि0 24.07.2018

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः ...क्रमशः .... ये तो वे लोग हैं, जो लोग राजबल्लभ यादव को बचाने का काम कर रहे थे । इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं राजबल्लभ यादव, जो आज भी जेल के अन्दर बंद हैं और लालू यादव से डेढ़ घंटे तक उनके घर पर जाकर मुलाकात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार न तो राजबल्लभ यादव को बचायेगी और न किसी ब्रजेश ठाकुर को बचायेगी । जो लोग भी दोषी हैं, उनपर कार्रवाई कर उनको कड़ी–से–कड़ी सजा दी जायेगी । स्पीडी ट्रायल चलाया जायेगा और भी जितने भी इस प्रकार के एन0जी0ओ0 के द्वारा चलाये जा रहे जो सुधार गृह हैं, उन सबों की जांच करायी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है, आप जब भी कहें, हम सरकार की ओर से वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं । अगर आप कहें तो हम आज भी वक्तव्य दे सकते हैं । आप समय निर्धारित कीजिए, जब आप कहेंगे, सरकार वक्तव्य देने का काम करेगी । इसलिये किसी को बचाने का और किसी को फंसाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है लेकिन राजबल्लभ यादव के पार्टी के लोगों को यह जवाब देना पड़ेगा कि राजबल्लभ यादव लालू यादव से जाकर क्यों डेढ़ घंटे तक मिले, क्यों राजवल्लभ यादव के पक्ष में.....

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो सदन में नहीं हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, उसको डिलीट कराया जाय । ब्रजेश ठाकुर आपके करीबी हैं कि नहीं हैं, आपके चेम्बर में बैठने का काम करते हैं या नहीं करते हैं ? आप संरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? आपके डबल इंजन की सरकार में लगातार बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । एक-के-बाद एक हादसे होते जा रहे हैं और जब से आपकी नई सरकार बनी है, तब से बलात्कार का काम हो रहा है । ज्यादा-से-ज्यादा घटना आपके राज में हुआ है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/शंभु/24.07.18

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : एक रिपोर्ट है, ले हो जाता है फिर हम आपको मौका देंगे ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-241(ख) के अधीन इसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय बिहार विधान सभा में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0-639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 एवं 672

की एक-एक प्रति को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम से संबंधित समिति का 198वाँ एवं 199वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री अजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 251वाँ प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग से संबंधित 252वाँ प्रतिवेदन, वित्त विभाग से संबंधित 260वाँ प्रतिवेदन तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित 266वाँ एवं 267वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज प्रथम पाली में आपमें से अधिकतर माननीय सदस्यों द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के संबंध में मामला उठाया गया था और आसन से निदेश हुआ था कि सरकार इसपर एक विस्तृत वक्तव्य दे । सरकार ने इसपर आज ही वक्तव्य देने की सूचना दी है । अतः आज विधायी कार्य समाप्त होने पर सरकार इसपर वक्तव्य देगी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह जितनी बड़ी घटना है, जितनी बड़ी जघन्य घटना है और जितना बड़ा नैक्शस है इसमें और इसकी जो संवेदनशीलता है - क्या सरकार सी0बी0आइ0 से जाँच करायेगी ?

अध्यक्ष : वह तो वक्तव्य पर बात कर लीजिएगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अगर सी0बी0आइ0 से जाँच कराती है तो ठीक है, नहीं सी0बी0आइ0 से जाँच कराती है तो कोई बात नहीं ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के एडजोर्नमेंट के बाद आज उसी मुजप्फरपुर काण्ड के सन्दर्भ में विभिन्न महिला संस्थाओं के द्वारा गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन की बात की गयी थी । उसी में महिला कांग्रेस बिहार को भी आमंत्रित किया गया था । हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अन्य महिला सदस्यों तथा वरीय सदस्य श्री अवधेश बाबू, दूबे जी, टुन्ना जी वगैरह सभी गये हुए थे गर्दनीबाग उस धरना स्थल पर और धरना स्थल पर इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, महिला पुलिस एक भी नहीं थी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और यह कहा जा रहा था कि यह बेगुसराय की विधायिका है इसको पीटो, कहा जा रहा था कि समस्तीपुर का विधायक है इसको पीटो- बड़ी दुखद घटना है । हमारे जो टुन्ना जी विधायक हैं उनको लाठी भी लगी है, चोट भी आई है तो इस घटना के सन्दर्भ में हमलोग

बहुत दुखी हैं और हमलोगों ने यह निर्णय लिया है कि सरकार के इस गलत रवैये के खिलाफ वॉक-आउट करें और सदन का परित्याग करें ।

अध्यक्ष : आप बहिष्कार करते हैं कि मेरी बात सुनकर जाइयेगा ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, वहां पर हम भी गये हुए थे प्रदर्शन में और वहां पर पुलिस ने जिस तरह से अव्यवस्था का प्रदर्शन किया है और विधि-व्यवस्था.....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता का भाषण हो गया तो उनके आर्डर में हैं कि उनके आर्डर से नहीं चलते हैं, अगर विधायक दल के नेता के बाद ये भाषण दे रहे हैं.....

अध्यक्ष : अवधेश बाबू, सदानन्द बाबू ने जो कहा है अगर इस सदन की महिला माननीय सदस्या की बात है या किसी माननीय सदस्य अमित जी की बात है, उनको चोट लगने की बात है, अगर आप सहमत हों तो सरकार इस घटना पर आज के इस सत्र में इस पाली के बाद विधायी कार्य के बाद जो वक्तव्य देगी तो उस घटना पर भी दे, अगर इस बीच में आ जाता है, नहीं तो कल इस घटना पर सरकार पूरा विस्तृत वक्तव्य देगी इस सदन में अगर आप सहमत हों ।

(इस अवसर पर कांग्रेस के मा0 सदस्यों ने सदन से वॉक-आउट किया)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, आसन का नियमन हो गया, आसन का निदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और आसन का जो निदेश हुआ उसका पालन सरकार करेगी, लेकिन ये कैसा सवाल उठाना चाहते हैं कि सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और इनको भरोसा नहीं है तो ये सवाल को क्यों उठा रहे हैं ?

(इस अवसर पर राजद के मा0 सदस्यगण सदन के वेल में आ गये।)

अध्यक्ष : इन लोगों को कहां भेज दिये ?

(व्यवधान)

अब बैठेंगे तब न सुन लेंगे । कहां जा रहे हैं ? अब जब सरकार इसपर वक्तव्य दे रही है तब क्या कहना है ?

(व्यवधान)

टर्न-4/अशोक/24.07.2018

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब जब सरकार इस पर वक्तव्य दे रही है तब क्या कहना है ? जब सरकार वक्तव्य दे रही है तब क्या कहना है ?

(व्यवधान)

ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये कोई तरीका नहीं है, अगर टेबुल-वेबुल... आचरण जो बर्दाश्त के लायक होता है वही बर्दाश्त होता है, आप टेबुल उलट

दीजिये ? आप अपनी बात कह रहे हैं, हम किसी को रोक रहे हैं ? ये गलत बात है । माननीय सिद्दीकी साहब, इस तरीके से सदन में अव्यवस्था नहीं चलेगी, अपनी बात कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहिये, अब कोई टेबुल उलटने लगे, कोई स्टाफ को कुछ कहने लगे, कोई आपसे मारपीट करने लगे, ये गलत बात है ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य विपक्षी दल ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

"बिहार वित्त विधेयक, 2018"

अध्यक्ष : बिहार वित्त विधेयक, 2018, माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 201 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य,श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव, मो0 नेमतुल्लाह, श्री भोला यादव एवं डॉ. रामानुज प्रसाद के द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 201 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खंड-2,3,4,5,6,7 एवं 8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2,3,4,5,6,7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2,3,4,5,6,7 एवं 8 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : खंड-9 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-9 इस विधेयक के अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात है कि 1 जुलाई, 2017 से बिहार सहित पूरे देश के अन्दर गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स लागू किया गया है । इससे जी.एस.टी. के अन्तर्गत बिहार का एक कानून है जो स्टेट जी.एस.टी. के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत सरकार सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत सेन्ट्रल जी.एस.टी. के अन्तर्गत कर अधिरोपित करती है । अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी ज्ञात है कि जो बिहार वैट था और लक्जरी टैक्स, इन्टरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टिजमेंट टैक्स और इन्ट्री टैक्स, इन सभी करों को समाहित कर और जी.एस.टी. का प्रावधान किया गया है लेकिन पैट्रोल, डिजल, नेचुरल गैस, ए.टी.एफ. एवं क्रूड ऑयल, इनको जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है, इसके अतिरिक्त बिहार एलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी और प्रोफेसनल टैक्स ये भी जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है, इसमें वाणिज्य कर विभाग है वह तीन तरह के कर प्रबंधन का कार्य करता है एक तो जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत वह काम करता है, दूसरा जो जी.एस.टी. लागू होने के पहले के जो मामले जो लम्बित है जो वैट के अन्तर्गत हैं उनके लिये भी काम करता है साथ ही पैट्रौल, डिजल आदि जो जी.एस.टी. के बाहर है उस पर भी काम कर रहा है । भारत सरकार ने और सेन्ट्रल जी.एस.टी. के अन्तर्गत कुछ प्रशासन के लिये कुछ पद नाम निर्धारित किये हैं चूंकि वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत पूर्व से पदनाम था, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सहायक आयुक्त आदि पूरे देश में एकरूपता के ख्याल से भारत सरकार ने सेन्ट्रल जी.एस.टी. में जो पदनाम परिभाषित किये हैं, उसी के अनुरूप बिहार के अन्दर भी पदनाम रखे जाने का इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रावधान किया गया है । उदाहरण के लिये वाणिज्य-कर पदाधिकारी अब राज्य-कर सहायक आयुक्त कहे जायेंगे, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त अब राज्य-कर उपायुक्त कहे जायेंगे, वाणिज्य-कर उपायुक्त अब राज्य-कर संयुक्त आयुक्त कहे जायेंगे, वाणिज्य-कर संयुक्त उपायुक्त अब राज्य-कर अपर आयुक्त कहे जायेंगे उसी प्रकार वाणिज्य-कर अपर आयुक्त अब राज्य-कर विशेष आयुक्त और वाणिज्य-कर आयुक्त अब राज्य-कर आयुक्त कहे जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से जो सेन्ट्रल जी.एस.टी. के अन्तर्गत जो पदनाम है उसी के अनुरूप करने के लिये इस वित्त विधेयक के माध्यम से हम सदन में यह वित्त विधेयक लाये हैं । मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार वित्त विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार वित्त विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-5/ज्योति/24-07-2018

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018

अध्यक्ष : अब, दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 लिया जायेगा, प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि '' दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 '' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करती हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव, माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि '' दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 '' पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य - अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य -अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड -2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य - अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : अब कोई माननीय सदस्य अगर इस विधेयक पर अपनी राय रखना चाह रहे हों, दहेज प्रतिषेध में बिहार सरकार का जो कानून था, वह केन्द्र सरकार के द्वारा बना हुआ है जो ज्यादा उचित है इसलिए इस विधेयक को रिपील किया जा रहा है, निरसित किया जा रहा है । इसके बारे में अगर कोई माननीय सदस्य अपनी राय रखना चाहते हों तो राय रख लें फिर सरकार स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलेगी । अगर कोई माननीय सदस्य रुचि रख रहे हों, वैसे कोई सदस्य सीधे बोलना चाहते हैं तो सीधे बोल सकते हैं । श्री मिथिलेश तिवारी, नाम आ रहा है, आपने अपना नाम अनुशंसा कराके भेजा है आप वैसे भी आसन का आई कैच कर सकते थे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बिहार विधान सभा के इस ऐतिहासिक सत्र में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज उस विषय पर बिहार विधान सभा के इस महत्वपूर्ण बैठक में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है । महोदय, अच्छा होता कि आज विपक्ष के लोग भी इस महत्वपूर्ण विधेयक के संशोधन में उनकी भी सहमति होती, आज यहाँ पर मेज पर तालियों की गड़गड़ाहट से इस विधेयक की स्वीकृति के लिए वो सरकार का समर्थन करते लेकिन पता नहीं विपक्ष को क्या हो गया है कि सरकार अगर अच्छा भी काम करती है तो विपक्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दहेज लेना उनको लगता है कि स्टेट्स सिम्बौल है । बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे कार्य किए हैं, बिहार की सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कल इसी सदन में जब शराब बंदी पर बात हो रही थी और मुझे लग रहा था कि पहले सरकारों का काम केवल रहता था केवल विकास करना, सरकारों का काम रहता था, अपराध रोकना लेकिन सरकार ने समाज सुधार के दिशा में कार्य किए हैं यह कार्य ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है और पूरे देश में इस विषय की चर्चा हो रही है । अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जब किसी के परिवार में कोई एक बच्ची का जन्म होता है तो उसको लोग लक्ष्मी कहते हैं । लड़कियों को घर में लक्ष्मी कहा जाता है । जब कोई नवरात्रि का पर्व होता है तो लड़कियों का पांव पूजन होता है उसको दुर्गा की उपाधि दी जाती है लेकिन जब किसी गरीब को उसी लक्ष्मी के लिए वर ढूंढना पड़ता है, वह गरीब जब जाता है दहेज रुपी दानव से उसका सामना होता है तो वह व्यक्ति उस लक्ष्मी का गला घोटने के लिए भी मजबूर हो जाता था, इसी बिहार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई लेकिन इस कानून के कारण सरकार के इस प्रकार के निर्णय के कारण अध्यक्ष महोदय, अब बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा और दुर्गा का दर्जा लोगों को देने में

कोई परेशानी नहीं होगी और जो सृष्टि का कार्य जो सृष्टि निर्माण का कार्य चलते रहा है उसमें अब कोई परेशानी नहीं होगी और बेटिया अब बोझ नहीं होगी इसलिए जब केन्द्र की सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बिहार की सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर कहा है कि बेटी पढ़ओ और बेटी बचाओ और बेटी को बिना दहेज ससुराल पहुंचाओ, यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है और इस कदम की सराहना होनी चाहिए चाहे वह गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो, हालांकि सरकार ने तो बेटियों को पढ़ाने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम इस सत्र में और सरकार पहले भी करती रही है और इस बार बहुत तेजी से किया जा रहा है।

क्रमशः

टर्न-6/24.7.2018/बिपिन

श्री मिथिलेश तिवारी : क्रमशः इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, लिखेंगी और बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा और बिना बेटियों के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है इसलिए दहेज रूपि दानव का दमन इस सरकार ने किया है, इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को, इस पूरे मंत्रिमंडल को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस प्रकार की एक सामाजिक क्रांति की शुरूआत बिहार से हुई है और पूरा देश इसका अनुकरण करेगा । इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और सरकार को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, आज दहेज प्रथा और बाल-विवाह पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने माननीय नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को भी नमन करते हुए सदन को मैं बताना चाहता हूं कि दहेज प्रथा समाज की बहुत बड़ी कुरीतियां हैं, अभिशाप है । दहेज प्रथा, आज से पहले गांव में हमलोग रहने वाले लोग हैं, तो जब गांव में किसी का बच्चा पढ़-लिख जाता था या पूंजीपति का बेटा होता था तो बड़ी शौक से लोग दहेज मांगते थे और मोछ में घी लगाकर कहते थे कि मेरे बेटे को पच्चीस लाख रूपया दहेज मिला और मेरे बेटा को चालीस लाख रूपया दहेज मिला । लेकिन जब दहेज प्रथा पर रोक लगाए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद काफी हद तक यह सफल हुआ और जो दहेज के लोभी थे, आज वे टेबुल के उपर से नहीं, अगर कुछ लेना भी चाहते हैं तो दबे जुवान से टेबुल के नीचे से दहेज लेते हैं । इसलिए समाज में इसका बड़ा भारी असर पड़ा है । दहेज प्रथा से हमारे बच्चियां, जिसको बेटी हो जाती थी दो-चार, लोग परेशान हुआ करते थे लेकिन आज बेटी को भी बेटा से ज्यादा सम्मान मिल रहा है, बेटी को हमारी सरकार ने पढ़ाई-लिखाई के लिए विशेष व्यवस्था किया है-बच्चियों को

पोषाक देने की व्यवस्था किया, हमलोगों की सरकार ने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया । मैट्रिक में फर्स्ट डिविजन से पास करेगी तो दस हजार रूपया देने की बात कही, इंटर में पास करेगी फर्स्ट डिविजन से तो पंद्रह हजार रूपया देने की बात कही । इतना ही नहीं, आज हमारी सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसके शादी-विवाह तक 51 हजार रूपया दे रही है और पढ़ाई-लिखाई से लेकर सभी व्यवस्था में उसको इतनी अच्छी व्यवस्था दे रही है सरकार कि आज बच्चियां मैट्रिक का रिजल्ट हो या इंटर का रिजल्ट हो तो टॉप अगर कोई करती है तो आज बिहार की बेटी कर रही है, यह अपने-आप में एक मिशाल कायम हुआ है महोदय । इतना ही नहीं, जो दहेज के लोभी लोग हैं, मैं समझता हूं कि सदन छोड़कर भाग जाते हैं । जब चर्चा होती है बच्चियों की तो अपनी छोटी-मोटी मुद्दा सदन में रखते हैं लेकिन जब बहस के लिए सरकार तैयार होती है कि इस मुद्दा पर हम बहस करेंगे तो वे लोग सदन छोड़कर भाग जाते हैं । महोदय, हमारी सरकार, हमारे एन.डी.ए. की सरकार किसी भी लोगों को न बचाती है, न किसी को फँसाती है । हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है और अगर माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी के भी अगर कोई विधायक गलत करता है तो देन एंड देयर उसको पार्टी से निष्कासित की जाती है । यह जनता दल यूनाइटेड की सोच है और यह एन.डी.ए. की सोच है लेकिन कुछ लोगों ने, आज हम देख रहे हैं कि जब हमारे उपमुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि आप मुजफ्फरपुर की घटना की चर्चा कर रहे हैं लेकिन आप राजबल्लभ भाई की चर्चा क्यों नहीं करते हैं जिस राजबल्लभ भाई ने बेटी के साथ अत्याचार किया, उसको लालू यादवजी बुलाकर डेढ़ घंटा बतिया रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं । यह कौन-सी घिनौनी बात हो रही है, यह कौन-सा घिनौना खेल हो रहा है । ये विपक्ष के नेता बनकर बैठते हैं और क्या-क्या बोलते रहते हैं । ये संघर्ष से तो आए नहीं हैं । अगर संघर्ष कर हमलोग जैसे आए होते तो आज शायद मैं समझता कि इनको बिहार की जनता से, गरीबों से इनको दर्द रहता लेकिन ये तो सोने के चम्मच और कटोरी लेकर पैदा होकर आए हैं । इनको संघर्ष से मतलब क्या है । इनको तो जो कुछ लोग पीछे से बताते हैं वही लेकर सदन में चर्चा करते हैं । यह सदन काफी महत्वपूर्ण है लेकिन हमलोगों के कोश्चयन आवर को, विपक्ष डिस्टर्ब करने का काम करता है । हमलोग दौड़-दौड़ कर रात में आते हैं, शून्यकाल डालते हैं, तारांकित कोश्चयन डालते हैं। सभी कोश्चयन को बर्बाद करने का काम करते हैं । बिहार की जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं । केवल अपने मुद्दा को अखबार में छापने के लिए ये लोग सदन को बर्बाद करते हैं और बिहार के विकास के बदले में विनाश के कगार पर ले जाना चाहते हैं । महोदय, बाल-विवाह की जहां तक सवाल है, बाल-विवाह में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 18 साल से पहले के बच्चियों के बाल-विवाह पर रोक लगना चाहिए । जब बच्ची स्वस्थ नहीं होगी और कम उम्र में जब उसकी शादी हो

जाएगी, वह चली जाएगी ससुराल में, फिर गर्भवती होगी तो फिर जब बच्ची ही स्वस्थ नहीं होगी हमारी, जब हमारी माँ बन जाएगी तो जब माँ स्वस्थ नहीं होगी तो उसके गोद में बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं । इसलिए उसपर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है । कोई बौने हो जाते हैं, कोई नाटे हो जाते हैं, कोई मानसिक रूप से संकुचित हो जाते हैं । इसलिए इसपर रोक लगाया गया है । मैं सरकार के इस कदम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह अच्छा काम करके और हमारे आने वाले पीढ़ी को, जेनरेशन को सरकार ने एक अच्छा संदेश देने का काम किया है ।

महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता सदन को नहीं चलने देते हैं, मैं समझता हूं कि क्या रह गया है इनके पास? इनके पास तो कोई न विचार है, न कोई सिद्धांत है, न कोई संघर्ष है । ये तो मुख्यमंत्री के गोद से पैदा लिए हुए एक बेटा हैं जो सीनियर नेताओं को किनारे करके अपने विपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं । हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर सदन में रहते तो मुझे पूछने का मौका मिलता कि आप कहां से आ गए और आए तो कितना रूपया लेकर आ गए। हमलोग भी एक गरीब किसान के बेटा हैं । हमलोग इतने दिन से मेहनत करते-करते व्यवस्था चलाने में कामयाब हो नहीं पाते हैं और आपके पास अकूत संपत्ति बटोर कर जाते हैं विदेश में और विदेश में जाकर अपने धन का निवेश करते हैं । महोदय, इन लोगों को न दहेज प्रथा से कोई मतलब है, न इनलोगों को बाल-विवाह से कोई मतलब है, न इनलोगों को शराबबंदी से मतलब है ? इनलोगों को बिहार को लूट कर, बिहार में अपराध कायम कर बिहार में फिर जंगल राज कायम करने की सोच से ये सदन में हंगामा कर रहे हैं और बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं । इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर आसन का सम्मान करते हुए मैं तमाम माननीय सदस्यों का, माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राजू तिवारी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे दहेज प्रथा के खिलाफ बोलने का मौका दिया गया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

आज पूरे बिहार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बाल-विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ चलाया गया जो अभियान है इसका हमारे समझ से पूरे बिहार में, हर जनमानस में, एक आन्दोलन का रूप ले रखा है । आज हमारे बिहार की बेटियाँ, कम उम्र में अगर शादी हो रही है, तो बेटियाँ इस लायक हो गई हैं कि वो खड़ा होकर खुलकर विरोध कर रही हैं परिवार से कि बाल-विवाह मेरा नहीं होगा और उसके लिए वो थाने तक चली जाती हैं । आज वह इतनी जागरूक हो गई है कि उसका खुलकर विरोध कर रही है । दहेज प्रथा में भी हमारे यहां देखने को मिला है कि दहेज के लिए पिता परेशान रहते थे । बेटियों की शादी नहीं होती थी लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बेटियों के लिए चलायी गयी जो भी योजनाएं हैं उससे

इतनी सक्षम हो गई है हमारे यहां बिहार की बेटियॉं कि आज दहेज जो परिवार मांगता है, उसके खिलाफ खड़े होकर दहेज नहीं देकर उस घर में शादी नहीं करना चाहती है । बिहार में आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भिन्न-भिन्न योजनाएं चल रही है । बिहार एक ऐसा राज्य है मेरे समझ से कि विकास के साथ-साथ यहां सामाजिक कुरीतियॉं, चाहे शराबबंदी हो, बाल-विवाह हो, दहेज प्रथा हो तो हमलोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको बिहार में मिला है जो विकास के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी समय-समय पर आन्दोलन चला रखे हैं । मैं आपके माध्यम से इस सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार जी को बधाई देता हूं और इनके द्वारा जो शानदार काम किया जा रहा है, विशेष कर सामाजिक जो कुरीतियां हमारे देश में, हमारे बिहार में फैली हुई थी, उसके लिए बधाई देकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

टर्न : 7/कृष्ण/24.07.2018

श्री रत्नेश सादा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रतिबंध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, हमारी सरकार 2005 में बनी थी । उस समय रोता हुआ बिहार, बिलखता हुआ बिहार, गड्ढे में सड़क है या सडक में गड्ढें हैं, चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ बिहार माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार को मिला था । माननीय मुखिया ने बिहार के विकास के साथ-साथ समाज के सुधार का भी काम किया है । महोदय, इतना ही नहीं, ये बिहार के सतत् विकास के लिये भी योजना बना रहे हैं । समाज सुधार के लिये इन्होंने सर्वप्रथम 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया जिससे समाज के सभी वर्गों में खुशी का माहौल है । जब माननीय मुखिया को इससे भी मन नहीं भरा तो समाज सुधार की दिशा में इन्होंने अनेक काम करना शुरू किया । महोदय, दहेज प्रथा और बाल-विवाह होने के कारण, कम उम्र में बच्चे-बच्चियों की शादी हो जाने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं । कम उम्र की बच्ची से जन्म लेने वाले बच्चों में या तो बौनापन होता है या नाटापन होता है । अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने से विसंगतियां पैदा होती थी । यहां तक की वे मानसिक बीमारी से भी ग्रसित होते थे । इन सब बुराईयों को देखते हुये माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने आज बाल-विवाह और दहेज उन्मूलन का कानून लागू करने का काम किया है । महोदय, दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है, समाज में दहेज रूपी राक्षस बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में फैल गया है । दहेज के चलते हमारी बहन एव बेटियां को जलाकर मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है । अनेक तरह की घटनाओं को अंजाम देकर दहेज लोभी लोग हमारी बहन-बेटियों की हत्या कर देते हैं। समाज सुधार के लिये माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है, जो

विधेयक लायें हैं, वह एक सराहनीय कदम है । इसी पर मुझे कबीर की वाणी याद आती है :-

कबीरा खड़ा बाजार में,
सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर ।

महोदय, माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को समाज से किसी प्रकार की न दोस्ती है, न दुश्मनी है । केवल उन्हें चाह है बिहार के विकास की । बिहार की जनता के सुधार के लिये इस संसार में, बिहार में ये पैदा हुये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब-जब इस देश में पाप की वृद्धि हुई थी, जब-जब धर्म की हानी हुई थी तब-तब मनुष्य के रूप में देवता का अवतार हुआ था । महात्मा गांधी और बुद्ध जिस प्रकार से अवतार लिये थे, उसी प्रकार 1990 से लेकर 2005 तक जब इस बिहार में भय और हाहाकार मचा हुआ था तो भगवान ने महात्मा गांधी रूपी, बुद्ध रूपी और अम्बेदकर रूपी श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के सुधार के लिये यहां भेजा हैं । इन्हीं चंद शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्रीमती रंजु गीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले परम आदरणीय विकास पुरूष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । महोदय, मैं आभार प्रकट इसलिये करती हूं कि आज तक बिहार राज्य या पूरे देश में कोई भी राज नेता, उनका एम0एल0ए0 कैसे बने, किसी भी पार्टी को चलानेवाले नेता, उनके एम0एल0ए0 की संख्या कैसे बढ़े, उनका एम0 पी0 कैसे बढ़े, उनकी पार्टी कैसे बढ़े इस पर सोचने एवं काम करने का काम किया लेकिन मैं आभार प्रकट करती हूं परम आदरणीय विकास पुरूष माननीय श्री नीतीश कुमार साहब जी के प्रति जिन्होंने सामाजिक चिन्तक के रूप में काम करने का काम किये । समाज सुधारवादी का गठन करने का काम किया अपने पार्टी के अंदर । महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिस सामाजिक कुरीतियों के कारण आज आये दिन समाचार पत्रों में छपती हैं कि बेटियां फांसी के फंदे पर लटकती है तो कोई जिंदा जला दी जाती है, कितनी बेटियों को दहेज के लिये मार दिया जाता है । इसके लिये हम सब पार्टी की ओर से नामित हैं और मैं समाज सुधारवादी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और बिहार की आधी आबादी महिलाओं की ओर से माननीय नेता के प्रति आभार और कृतज्ञता अर्पित करती हूं । महोदय, मैं इसलिए आभार प्रकट करती हूं कि आज हमारे राज्य और देश में अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो हमारे राज्य और देश की महिलायें सती प्रथा की शिकार होती रहती । हमारे राज्य और देश से सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां कभी खत्म नहीं होती। महोदय, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्य से निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारे राज्य की बेटियां बिना दहेज की ब्याही जायेगी । उनकी शादी

बिना दहेज के होगी और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आनेवाले समय में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार साहब जी को जायेगा । आनेवाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी, सौ वर्षों के बाद याद किये जायेंगे, इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा कि दहेज प्रथा को बिहार से उखाड़नेवाले वैसे राजनेता है जिनका नाम श्री नीतीश कुमार है । हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सूर्य की भांति हैं जिनका इन्सान सर्दियों में स्वागत करने के लिये तैयार रहते हैं और गर्मी के दिनों में उसका तिरस्कार भी करते हैं। महोदय, मैं अपने आप को गौरान्वित महसूस करती हूं कि क्योंकि मैं दहेज प्रथा, बाल-विवाह और कन्या भ्रूण हत्या और शराबबंदी जैसी चारो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिये गांव-गांव में जाती हूं और लोगों से मिलती हूं तो लोग मुझ पर भी हंसते हैं और हमारे नेता के बारे में भी तिरस्कारवाली बात बोलते हैं तो मैं उन्हें बताती हूं, मैं कहती हूं कि मेरे नेता तो सूर्य हैं, आप उनका या तो स्वागत करो या तिरस्कार करो लेकिन उनका कदम कभी नहीं डगमगायेगा, जबतक समाज में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने में वे सफल नहीं होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे बिहार में सामाजिक कुरीतियों को हमारे मुख्यमंत्री ने मिटाने का जो बीड़ा उठाये हैं हम सब मिलकर सहयोग करके निश्चित रूप से उसे दूर करने में कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करें और दहेज प्रथा जो एक अमानवीय कुरीति है, सती प्रथा से कम अमानवीय कुरीति नहीं है, को दूर करने का काम करें । सति प्रथा में तो जब महिला के पति मर जाते थे तब जिन्दा महिला को उसके साथ जला दिया जाता था । उसकी संख्या तो कम थी लेकिन आज दहेज प्रथा अमानवीय कुरीतियों की तरह घर-घर में प्रवेश कर गया है । उसे मिटाने के लिये हम सब लोगों को मिलकर चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों या किसी भी पार्टी के लोग हों, समाज के हर तबके के लोगों को इसमें सहयोग करके और इस अमानवीय कुरीति को मिटाने का काम करने की जरूरत है । महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : महोदय, बाल-विवाह और दहेज प्रथा पर बोलने के लिये मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । महोदय, भारत में कई बड़े-बड़े समाज सुधार हुये हैं । बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी उस कड़ी का एक हिस्सा बनने का काम किये हैं। महोदय, ज्योति बा फूले, सावित्री फूले, राजा राम मोहन राय, संत कबीर, संत रविदास कई ऐसे बड़े सामाजिक परिवर्त्तन और व्यवस्था परिवर्त्तन के हमारे इस देश के संस्थापक रहे हैं जिन्होंने इस देश में उस समय जो सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी, जिसके खिलाफ ज्योति बा फूले, सावित्री फूले और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने आंदोलन की शुरूआत की थी

क्रमशः

टर्न–8/राजेश/24.7.18

श्री ललन पासवान, क्रमशः बाद के दिनों में संत रविदास, कबीर, स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में दो शिष्य ऐसे थे, जो संत कबीर और संत रविदास थे, जो भारत के कुरीतियों के खिलाफ, भारत के आडंबर और कर्मकांडों के खिलाफ, दुनियाँ में एक नया रास्ता, एक नया मार्ग, एक नया आदर्श और एक नया दिशा दिया था और लंबे दिनों के बाद, 40 साल आजादी के बाद, आजादी के पहले, लंबे दिनों के बाद, माननीय नीतीश कुमार एवं माननीय सुशाील कुमार मोदी जी ने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुंठित, विकृत और कलंकित व्यवस्था पर चोट करने का दुस्साहस किया है, इसलिए जितनी बधाई दी जाय, जितना धन्यवाद दिया जाय इस सदन में, उतना कम है, शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है महोदय और इससे पूरे समाज में तनाव, घर में तनाव और बेटियाँ जो दो कुलों को तारती है, एक मैके को तारती है और एक ससुराल को तारती है, उनको बलिदान चढ़ा देता है समाज के दहेज लोभियों द्वारा और इस कदम को माननीय नीतीश कुमार जी एवं माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने शुरुआत करके बिहार में एक नया सामाजिक परिवर्तन का और समाज सुधारक के रुप में एक नयी कड़ी में इनका नाम इतिहास में दर्ज होगा लेकिन महोदय आज भी हम इसकी चर्चा करें, निश्चित तौर से भय हुआ है लेकिन जितना व्यापक सरकार ने कानून लायी है, जो व्यापक रुप से जमीन पर इसका असर दिखना चाहिए, उसपर और जोर देने की जरुरत है, यह हम सरकार से कहना चाहते हैं और पैनी नजर से इसपर नजर रखने की जरुरत है, जितना इसपर कड़ा कानून बनें, सरकार को बनाना चाहिए लेकिन महोदय संपूर्ण उत्तरी भारत में यह वर्ण व्यवस्था पर, जातिय व्यवस्था पर, समाज है, धर्म पर आधारित समाज है और एक काम महोदय इन्होंने बड़ा काम किया, दोनों हमारे नेता ने, एक और काम करने का हम आग्रह करना चाहते हैं, अर्न्तजातीय विवाह के प्रश्न पर माननीय नीतीश कुमार जी से एवं माननीय सुशील कुमार मोदी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से, कि बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह और अर्न्तजातीय विवाह की प्रथा यहाँ शुरु होनी चाहिए क्योंकि उत्तरी बिहार में और पूरे देश में इसके चलते जातीय तनाव जो हमारा अलग–अलग विचारों और मूल्यों का और जो घरों में तकराहट है, इसलिए बड़े पैमाने पर अगर जरुरत पड़े तो इसमें अगर कोई संशोधन की बात हो, तो नीचे से लेकर उपर तक सरकार को सामूहिक विवाह, अर्न्तजातीय विवाह की प्रथा को, इसमें जितना बड़ा पुरस्कार सरकार को देना पड़े, सरकार दें ताकि जातीय तनाव कम हो, धर्म का तनाव कम हो, मानवता का जो स्वरुप है, हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का जो मूल मंत्र है मानव कल्याण का, मानव उपदेश का, जो विवेकानंद जी ने जिन बातों को कहा, संत रविदास जी ने जिन बातों को कहा, संत कबीर ने जिन बातों की चर्चा की, राजाराम

मोहन राय, सावित्री फूले एवं ज्योतिबा फूले ने जिस संदेश को दिया भारत में, अभी तक उस संदेश का अमली जामा इस भारत में नहीं पहनाया जा सका, माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका शुरुआत किया, मैंने कहा 40 साल कॉग्रेस और 15 साल हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, लेकिन जातीय तनाव भी फैला, धर्म के नाम पर तनाव फैला, जात के नाम पर तनाव फैला और हमेशा इसका मतभेद रहा और आज भी जात के आधार पर पार्टियॉं, जात के आधार पर नेता, इसको तोड़ने की आज जरुरत है, जब तक यह टूटेगा नहीं और अर्न्तजातीय विवाह की प्रथा नहीं जुड़ेगी, जब तक जात से हटकर भारत का एक रास्ता तय नहीं होगा, तब तक भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं होगा, मजबूत बिहार नही बनेगा, इसको हमको करना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार जी ने जैसा कि मैंने कहा राजाराम मोहन राय, सावित्री फूले एवं ज्योतिबा फूले, संत कबीर एवं संत रविदास के बाद आप भी एक समाज सुधारक के रुप में, एक नयी कड़ी आप इस बिहार में बनने का काम किया है, निश्चित तौर से बिहार आपको सदा याद करेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आज काफी ऐतिहासिक क्षण है और वास्तव में 2 अक्तूबर 2017 को एन0डी0ए0 की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक सामाजिक अभियान की शुरुआत की थी दहेज के खिलाफ और इसके साथ-साथ एक दो और जो कुरीतियॉं हैं, उसके खिलाफ भी शुरुआत हुई थी और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में इसकी गंभीरता को समझा और आज के इस मॉनसून सत्र के दौरान एक तरह से बिहार के दहेज विरोधी अधिनियम था, दहेज विरोधी अधिनियम 1975 उसको आज समाप्त किया गया है और उसकी समाप्ति के पीछे मुझे जो लगता है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व से एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू है, उस समय केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल मंत्रालय ने इस अधिनियम को संसद में पेश किया था और उसमें कई ऐसे कठोर प्रावधान हैं, मुझे लग रहा है कि बिहार का यह अधिनियम जो आज निरसन होने जा रहा है, इसलिए हम सरकार को बधाई देते हैं कि इसे कठोरता से लागू करने के लिए, कि पहले से भारत सरकार का दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, लगता है कि उसको पूरे संकल्प के साथ लागू करने का बिहार सरकार रख रही है, हम धन्यवाद देते हैं इस सरकार को कि यह पहली सरकार है पूरे देश में, जिसने कानून-व्यावस्था, विकास एवं अन्य मामलों में जो हमारी कुरीतियॉं हैं, जो बिहार के विकास में, देश के विकास में, कहीं-कहीं अवरोध बन गयी है, बाधा बन गयी है, ऐसे मौके पर इसे कठोरता से, जिसे आज बिहार विधान मंडल में निरसन का, जो विधेयक आया है, उसका हम समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केवल कानून को लागू करने से ही यह जो दहेज प्रथा है, उसे समाप्त किया जा सकेगा, इसके साथ-साथ जो

जन-जागरण का अभियान है, चेतना का एक अभियान है, जो सरकार 2 अक्तूबर, 2017 से प्रारंभ की है, वह भी लागू रहे, जिसे हम कानून के द्वारा भी इसे समाप्त कर सकेंगे और एक सामाजिक अभियान के तहत जड़ पर प्रहार कर सकेगे, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम इस निरसन विधेयक का समर्थन करते हैं और पुनः बिहार सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी श्री सुशील कुमार मोदी जी एवं माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग को हम बधाई देते हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/24-7-18

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक, निरसन विधेयक जो पेश हुआ है, दहेज प्रतिषेध बिहार संशोधन(निरसन)विधेयक जो कानून बिहार में बना हुआ है उस कानून को निरस्त करने का यह विधेयक है और जो केन्द्र में कानून बने हुए हैं वह कानून सफिसियेंट है और अच्छा है, वही लागू रहे, बिहार में स्पेशल कोई लागू नहीं हो इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है । इसके लिए हम आपको, माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और सरकार को बधाई हम देना चाहते हैं। सबसे पहले जो बधाई के पात्र है वह हमारे मुखिया, हमारे नेता वह समाज को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं कि जो दहेज रूपी कोढ़ है, उस कोढ़ को दूर किया जाय, समाजिक कुरीतियों को दूर किया जाय । इसके लिए बड़े पैमाने पर जो अभियान चलाया है, समाज को जागरूक करने का जो अभियान चलाया है इसके लिए हम उन्हें बधाई तहेदिल से देते हैं और एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो एन0डी0ए0 की सरकार है, हमारी सरकार है, दहेज कैसे खत्म होगा? जब बिहार के बच्चे, बिहार के लोग जब प्रबुद्ध हो जायेंगे, शिक्षित हो जायेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने आप दहेज समाप्त हो जायेगा और इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी एन0डी0ए0 की सरकार ने जो निर्णय लिया था बालिकाओं को साईकिल, बालिकाओं को पोशाक, इन सारी योजनाओं का असर है कि बिहार के जो बच्चे हैं, बच्चियां है वे पढ़ना शुरू की, स्कूल जाना शुरू की और इसका नतीजा आने वाले समय में आयेगा,यहां कोई दहेज प्रथा नहीं रहेगी और इसके लिए हमारी सरकार जागृति फैला रही है, हमारे मुखिया इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसका उदाहरण माननीय अध्यक्ष महोदय तो मैं खुद हूं, मेरा बेटा आई0ए0एस0 है, एक पैसा तिलक नहीं, बगैर दहेज के मैंने उसका विवाह तय कर दिया और उसकी प्रेरणा और आपलोग केवल मजाक उड़ाने की बात करते हैं । मैं एक ऐसा विधायक हूँ, एक पैसा कमीशन भी नहीं लेता, आप क्या बात करते हैं, डंका के चोट पर विपक्ष यहां नहीं

है आप पता लगाईए और नीचे से ले लेंगे, ऊपर से ले लेंगे, ये सब बात गलत है और ऐसे मत बात करिये । ये जो भी बात आप करते हैं वह गलत बात कर रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य वीरेन्द्र बाबू, आप तो कितनी अच्छी बात कर रहे थे । आप दूसरों की बात पर क्यों उलझ गये ?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः नहीं, उलझ नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,जो बुराईयां है लोगों में, वह तो हम देखते हैं और हमको दुख भी होता है, स्वाभाविक है, तो यह जो विधेयक हमारी सरकार ने अभी लाया है और देखिये मैं तो 29 जून को ही औरंगाबाद में घोषणा कर दिया था कि बिना दहेज के विवाह करूंगा और मैं क्या घोषणा करूंगा? मैं इसलिए जिक्र कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि पढ़ाना जरूरी है। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ वह बेटा कहता है तिलक भी नहीं चढ़ाना और तिलक में टी0भी0 मिलता, फ्रिज मिलता, काहे ला ये भी नहीं लेना है, एक भी चीज, एक भी चीज नहीं लेना है और हम अपने विवाह में सिर्फ विवाह करेंगे, तिलक नहीं चढ़ायेंगे, यह घोषणा कर रहा हूँ और हम तय भी कर दिया हूँ गांव में और ग्रामीण लड़की से, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े घर से रिश्ता का आ रहा था डी0जी0पी0 और अन्य लोगों के यहां से, बहुत बड़े लोगों का रिश्ता आया लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस दिशा में एकदम प्रेरित करता है बाल बच्चा और जिस तरह से..

अध्यक्षः माननीय वीरेन्द्र बाबू, अभी आपने जो कहा कि दहेज के बिना या दहेज मुक्त शादी करेंगे या होगी तो ये फैसला एक शिक्षित लड़के का था या उसमें उनके पिताजी का भी योगदान था?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भी शिक्षित हूँ आप मुझको अशिक्षित मत समझिये और मैं अर्थशास्त्र से एम0ए0 हूँ और प्रोफेसर भी रहा हूँ और..

अध्यक्षः मतलब ये फैसला एक शिक्षित पिता का भी था।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहःऔर वहां से त्यागपत्र देकर इस राजनीति में हूँ और छात्र आन्दोलन से हूँ और छात्र आन्दोलन में जो कम्युनिस्ट लोग भी, सी0पी0आई0 के लोग जो जेल में पकड़ा कर के चले गये उनको भी पेंशन मिलता है और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस विधान-सभा के इस पोर्टिको में धरना दिया, 1974 की बात कर रहा हूँ, जे0पी0 आन्दोलन में इस पोर्टिको में आकर धरना दिया था, उस समय जयप्रकाश नारायण ने भी धरना दिया लेकिन उस धरना वाले को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाता है। वे जो जेल गये जने तने से पकड़ा पकड़ा कर के और जिस पर डी0आई0आर0 लगा और जिस पर मीसा लगा उनको इस योजना में लाया जाता है।

अध्यक्षः मतलब आप शुरू से शिक्षित होने के नाते दहेज प्रथा के विरोधी रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः बिल्कुल 100 परसेंट रहे हैं। दहेज प्रथा का मैं विरोधी हूँ ही और मैं यहां कह रहा हूँ, यहां मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सदन में माननीय सदस्य जो आते हैं,

वे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपकी प्रेरणा से समाज प्रेरित होगा जिस प्रकार से हमारी सरकार यह प्रेरित कर रही है जो कमजोर कानून था उसको निरस्त कर रही है उसी तरह आप भी समाज में इसको फैलाने का काम करें और इसमें तो हमारे उप मुख्यमंत्री भी एक उदाहरण हैं, कैसा शादी किये इन्होंने अपने पुत्र का । मैं उसमें गया था, हनुमान जी का भोग लगाया वहां समझ गये तो ..

अध्यक्ष अगर ये पहले कर लिये होते तो आप भी भोज गायब कर दिये होते।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: तो अध्यक्ष महोदय आज मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और बहुत बात नहीं कह रहा हूँ। इस विधेयक के आने के समय विपक्ष के लोगों को भी यहां रहना चाहिए था । यह समाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का अवसर है और इसको समझना चाहिए था, इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहिए था और यह तो भयंकर कुरीति है उसको खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

टर्न-10/मधुप/24.07.2018

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी को मैं तहेदिल से धन्यवाद देती हूँ । आज दहेज प्रथा और बाल विवाह पर हमलोगों को बोलने का जो मौका मिला है, इसके लिये आपकी भी बहुत-बहुत आभारी हूँ ।

समाज में दहेज या बाल विवाह बिहार में रोकने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, यह बहुत सराहनीय है । क्योंकि हमलोग बेटी को पढ़ाते थे और दहेज देकर शादी भी करते थे लेकिन ससुराल जाने के बाद परिवार अच्छा नहीं मिलने के कारण उनको गला दबा कर हत्या तक कर दिया जाता था । आज पढ़े-लिखे लोग समझ रहे हैं कि हम दहेज भी दे रहे हैं और बेटी भी दे रहे हैं, हमलोग इतना परिश्रम करके बेटी पालते-पोसते हैं, फिर भी हमारी बेटी ससुराल में ठीक से नहीं रह पाती है । इसलिये बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी निर्णय लिये कि दहेज खतम करो और आदर्श शादी करो । बिहार में आज इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले बोले थे कि जो दहेज लेगा उनका आप बहिष्कार कीजिये, उसके यहाँ शादी में मत जाइये । इसी तरह हमलोग एक-दूसरे को देखकर सीखें और हमलोग अपने-आप में यह प्रण कर ठान लें कि दूसरे जगह की जो बेटी घर में आयेगी वह पतोहू नहीं बल्कि हमारी बेटी रहेगी । हम अपने-आप में एक बल रखें और दहेज धीरे-धीरे खतम करें तो बिहार में एक अच्छा माहौल बनेगा और हम आप सभी के लिये यह अच्छा होगा ।

बाल विवाह क्यों रोका गया ? बाल विवाह होता है तो कम उम्र में शादी करके अपने माँ-बाप तो छुटकारा पा लेते हैं लेकिन ससुराल वाले अच्छी तरह से उसको नहीं रखते हैं, कम उम्र में भी शादी हो जाने पर बच्चा जो पैदा होता है, बौना होता है या अस्वस्थ होता है । इस तरह से बाल विवाह को भी रोका गया ।

माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । हम समझते हैं कि बिहार में नीतीश जी की जरूरत है और जबतक वे बिहार में रहेंगे तो बिहार उगते सूरज की तरह चमकेगा और आने वाले समय में बिहार में चहुमुखी विकास होगा । मुझे विश्वास है और हम यह देख रहे हैं । हम नवादा वारसलीगंज से आते थे तो 5-6 घंटा समय पटना आने में लगता था, अभी हम मात्र 2.5-3 घंटा में पटना आ जाते हैं । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । हम समझते हैं कि बड़ी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । मैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ । विपक्ष के लोग आज अपना मुद्दा कोई नहीं रखते हैं, सिर्फ हल्ला करते हैं । शराबबंदी जो हुआ तो किसके लिये हुआ, शराबबंदी पर्सनल कोई एक आदमी के लिये थोड़े ही हुआ है, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म के लिये हुआ । आज उनलोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिये, समर्थन देना चाहिये । सरकार अच्छा काम करे तब भी विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं । 15 साल जो बीत गया उन्हीं लोगों की भ्रष्टाचार की सरकार को देखा ही है कि उन 15 सालों में क्या हुआ, वही माहौल आज फिर वे खोज रहे हैं । लेकिन बिहार के बुद्धिजीवी लोग समझ गये हैं कि फिर हम वही दोबारा गलती नहीं करेंगे । जब चारा को नहीं बख्शा तो बिहार का विकास वे क्या करेंगे और बिहार के लोगों को क्या बख्शेंगे ? इसलिये नीतीश जी की अभी बिहार में जरूरत है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं । सारे लोग जानते हैं कि एक ईमानदार, एक कर्मठ इंसान व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के विकास के लिये, बिहार की उन्नति के लिये । अच्छे लोग सबको पहचानते हैं, आने वाले समय में हम समझते हैं कि फिर इन्हीं की सत्ता रहेगी । हमलोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इनका कहीं कोई शिकायत नहीं मिलता है । पूरा बिहार जानता है कि फिर इसी सरकार की सत्ता आयेगी तो चहुमुखी विकास होगा और बिहार की उन्नति होगी । बिहार में क्या नहीं है - बिजली है, सिंचाई के लिये व्यवस्था है । अभी जो कल सुखाड़ पर यहाँ बात होगी, मुख्यमंत्री जी कल बता रहे थे कि जब धान नहीं होगा तो हम दूसरे फसल के लिये सोचेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी की अलग सोच है कि हम बिहार में विकास करें। विरोधी दल चाहते हैं कि विनाश हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है । आज भारत सरकार की सोच है कि बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ और बिहार सरकार की भी सोच है कि बेटी एक दूसरे घर में जायेगी तो बिना दहेज के जायेगी । बेटियों के लिये बहुत सारी अपनी योजना में सरकार ने शामिल किया है - साइकिल योजना, पोशाक योजना, सारा चीज बेटियों के

लिये दे रहे हैं । आने वाले समय में बेटी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ भी रही है । आज लड़का से ज्यादा लड़कियॉं पढ़ने में इंटरेस्ट ले रही हैं और पढ़कर बिहार का नाम रौशन कर रही है, अपने मॉं-बाप का नाम रौशन कर रही है । मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है, मैं तहेदिल से फिर से पूरे सदन की तरफ से उन्हें धन्यवाद देती हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राजीव नन्दन : अध्यक्ष महोदय, आज दहेज प्रथा के विरोध में जो कानून को निरस्त किया गया है और केन्द्र का कानून कड़े प्रावधानों के साथ लागू रहेगा । दहेज प्रथा पर बोलने के लिये आपने मुझे जो समय दिया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

दहेज प्रथा समाज के लिये बहुत ही बुरी बात है और यह कुरीति है समाज के लिये, इसपर विभिन्न संगठनों द्वारा कुछ न कुछ काम किये जाते रहे हैं लेकिन पहली बार विकास पुरूष हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार इस दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में खड़ी है । सरकार खड़ी हुई है, जिसके कारण बहुत से ऐसे मामले आये हैं जिनमें बाल विवाह के विरोध में बच्चियॉं खड़ी हुई हैं । मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जो बच्ची अपने बाल विवाह के विरोध में सरकार को फोन करती हैं और अपने विवाह को खुद रोकवाती हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और आगे विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए व्यवस्था हो ताकि भविष्य में ऐसी और घटना आगे नहीं हो और दूसरे बच्चियों को इस प्रकार का काम करने का साहस मिले, उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले, ऐसा कुछ विचार लाना चाहिये, जिससे उसको लगे कि सरकार हमको प्रोत्साहन दे रही है । यह अच्छी बात है ।

इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन 30 जून को गया के गॉंधी मैदान में 12 जोड़ी की शादी दहेज मुक्त, बाल विवाह मुक्त हमने करवाया था । उसमें हरेक जाति के लोग थे, मांझी समाज के भी लोग थे, पासवान समाज के भी लोग थे, अनुसूचित जाति समाज के भी लोग थे, सामान्य वर्ग के भी लोग थे । इससे सामाजिक एक संदेश जाता है कि इस प्रकार के काम होने चाहिये । मेरा सरकार को सुझाव भी रहेगा कि जिस प्रकार दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह मुक्त की घोषणा सरकार की है तो हरेक जिला में एक नियत तिथि को इस प्रकार के विवाह का आयोजन सरकार के द्वारा हो ताकि गरीब लोग वहॉं आकर अपने बच्चे-बच्चियों का विवाह करा सकें । यह एक अच्छी पहल होगी । जिस सामाजिक क्रांति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़े हैं, हमारी सरकार बढ़ी है उसमें इससे एक गति मिलेगी और लोगों के बीच एक भरोसा जगेगा । इसमें हमारा एक सुझाव है कि विवाह में जो बच्चियॉं खुद अपनी शादी में दहेज का विरोध करती

हैं, उन बच्चियों को सरकार की ओर से भी बढ़ावा मिलनी चाहिये । जो बच्ची अपने विवाह को दहेज के विरोध में रूकवा लेती हैं कि हमारा होने वाला पति जिससे शादी हो रही है वह दहेज लिया है इसलिये मैं इससे शादी नहीं करूंगी, बीच मंडप में अपनी शादी को रूकवा देती है, वैसी बच्चियों को सरकार से नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिये । ...क्रमशः....

टर्न-11/आजाद/24.07.2018

..... क्रमशः .....

श्री राजीव नन्दन : ताकि यह दहेज विरोधी व्यवस्था है, उसको बल मिल सके और यह रूके । हमारे यहां बहुत से गरीब परिवारों की शादी मंदिरों में होती है और उस मंदिर में वहां पर व्यवस्था नहीं रहता है । उस समय मंदिरों में जो शादी दहेजमुक्त होती है, उसमें सरकार द्वारा एक दिन निःशुल्क में शादी कराने के लिए तिथि निर्धारित हो ताकि गरीब बच्चे-बच्चियों की शादी निःशुल्क हो सके और उनका कम से कम खर्च हो सके । जिस तरह से मंदिर में लोग शादी के लिए जाते हैं और वहां व्यवस्था नहीं रहती है । कम से कम जिस समय शादी का समय रहता है, उस समय वहां मंदिरों में पंडाल की व्यवस्था सरकार की ओर से हो ताकि वहां कम से कम 10 दिनों -15 दिनों तक वहां पर लोग शादी कर सकें और उन लोगों को सहायता मिल सकें । चूँकि वे लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास कुछ रहता नहीं है, वे लोग ही जाते हैं । ऐसे गरीब लोगों के साथ सरकार को खड़ा रहते हुए दिखना चाहिए और सरकार हमारी खड़ी भी है लेकिन जिस व्यवस्था के तहत आये हैं, उस व्यवस्था में भी जहां से वे अपनी जीवन की जिन्दगी प्रारंभ करते हैं, इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने जिस तरह से दहेजमुक्त शादी के लिए प्रस्ताव लाया है और सरकार जिस तरह से खड़ी है, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और यह मेरा सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि जिस तरह से शराबबंदी में आज विपक्ष नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं, जिस तरह से आपने शराबबंदी में हमलोगों से शपथ दिलाया था, उस तरह से शपथ आज भी इस कानून के पास होने के बाद होना चाहिए कि हमलोग न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे और दहेज को रोकने में हम समाज में जिस भूमिका में हमलोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं, उस भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज इस विधान सभा से एक संदेश जाना चाहिए । मेरा आग्रह होगा कि सरकार इसपर भी नजर रखें कि जिनकी शादियों में करोड़ों रू0 खर्च होते हैं, जिनके शादी का एक-एक कार्ड हजार-हजार रू0 का दिखाई देता है, हमलोगों के बॉक्स में रखा हुआ मिलता है, हमलोगों के यहां आता है, वैसे लोगों पर भी नजर रखी जानी चाहिए क्योंकि ये लोग महंगी शादी को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं न कहीं

इसको आगे बढ़ा रहे हैं । इसलिए जब गरीब आदमी देखेगा कि हम कैसे करें तो वह अपनी इच्छा की पूर्त्ति करने के लिए लड़की वाले से जबर्दस्ती दहेज ले लेते हैं तो एक सादगी का संदेश भी यहां से जाना चाहिए कि हम फिजूलखर्ची को बढ़ावा नहीं दें और सरकार भी इसपर नजर रखें कि इस तरह का फिजूलखर्ची अपने समाज के लिए हितकारी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं इसी वर्ष नवम्बर माह में फिर गॉधी मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन करूँगा और उसमें सभी लोगों का आमंत्रण रहेगा, उसमें इस बार 50 जोड़ी से कम नहीं होगा । उसमें आप सभी लोगों का आमंत्रण भी रहेगा और समाज में एक संदेश देने की आवश्यकता है कि समाज में दहेजमुक्त व्यवस्था है । हमलोग वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हमलोगों के साथ खड़ी है इस कार्य के प्रति, मैं उनको बहुत,बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ ।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह और दहेज प्रथा यह समाज का कोढ़ है । इस कोढ़ को दूर करने के लिए पहले भी अधिनियम लाये गये थे केन्द्र में और जो नियम-कानून बने हैं, वह पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं हो रहा था । मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं श्री नीतीश कुमार जी को राम और लक्ष्मण का जोड़ी मानता हूँ। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की तरह पग में पग मिलाकर समाज में कुरीतियों के खिलाफ हो रहे हैं और समाज सुधार के दिशा में बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं । समाज में जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने के लिए दहेज प्रथा के खिलाफ अधिनियम लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि समाज में डाईन और ओझा के नाम पर गांवों में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है । समाज में डाईन और ओझा के नाम पर महिलाओं की हत्यायें भी हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इस अंधविश्वास के खिलाफ भी, डाईन और ओझा के खिलाफ भी अभियान चलाया जाना चाहिए ।

न कोई डाईन, न कोई जादू-टोना,
न कोई ओझा भूत का होना,
अंधविश्वास की है यह सब खान,
मान न मान एक समान ।

गांवों में डाईन और ओझा के नाम की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसमें महिलाओं की हत्यायें हो रही है, सरकार का ध्यान इस ओर भी जानी चाहिए । पहले महोदय,

महिलाओं के खिलाफ हिन्दू धर्म में सतीप्रथा थी, जो शादी-शुदा होने के बाद उसका पति मर जाता था, महिलाओं को संजा-संवार करके, गाजा-बाजा के साथ शव में ले जाकर के लोग जलाते थे, वह अपराध था महोदय । उसके बाद सती मंदिर बनाया जाता था । आज भी देश में कई जगह सती मंदिर है, जहां पूजा होती है, जबकि वह महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थी, हत्या थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है । आज पूरे देश में सतीप्रथा समाप्त हो गया है । मैं इसके लिए राजाराम मोहन राय को धन्यवाद दे रहा हूँ । यदि वे नहीं होते तो सतीप्रथा लागू रहता । जितने भी धर्म देश में है, चाहे वह हिन्दू धर्म हो, इसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिन्दू धर्म छोड़कर के किसी भी धर्म में सतीप्रथा नहीं थी महोदय और न है । एकमात्र हिन्दू धर्म में जाति व्यवस्था है और अंधविश्वास काफी है । हम इस धर्म में पैदा लिए हैं, मुझे दुःख है कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं । नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति कभी-कभार पैदा लेता है । नीतीश कुमार पैदा लिये हैं देश को दिशा देने के लिए, डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने सप्तक्रांति लाया था और उसी को जयप्रकाश जी ने सम्पूर्णक्रांति का रूप दिया और आज के युग में नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति पैदा लेता है और सप्तक्रांति को, सम्पूर्णक्रांति को सात निश्चय में तब्दील कर देता है । आज गांवों में सात निश्चय के माध्यम से विकास हो रहा है, खुशहाली आ रही है । जब सात निश्चय गांवों में पूर्ण रूप से लागू हो जायेगा तो गांव खुशहाल हो जायेगा, गांव शहर में तब्दील हो जायेगा । जितनी भी बुराईयां हैं, वह सब दूर हो जायेगी । इसलिए नीतीश कुमार जी से हम आशा करते हैं कि आप क्रांति लाईए, समाज में जितनी भी अंधविश्वास है, उसके खिलाफ भी आप कदम बढ़ाईए, हम सब आपके साथ हैं और साथ रहेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अलावा बिहार में कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया, जो समाज को नई दिशा दे सकें । राजद के लोग शराबबंदी जो लागू हुई है, उसके विपक्ष में काम कर रहे हैं । जहां-जहां हम देख रहे हैं, जो राजद समर्थक गांव है, उसमें शराब चुलाया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को बदनाम करो । बाल विवाह के पक्ष में वे काम करते हैं और यह जो दहेज प्रथा है, उनके विपक्ष में काम कर रहे हैं। राजद के लोगों में समाजवाद नहीं है । राजद के लोग भाग जाते हैं, उनमें समाज सुधारने की भावना भी नहीं है, उनका सिर्फ एक ही वाद है लालूवाद, क्या है लालूवाद, भ्रष्टाचार करो, जातिवाद करो और समाज में विसंगतियां पैदा करो । इसलिए महोदय, मैं चाहता हूँ कि बिहार में नई क्राति की जो शुरूआत हुई है नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, राम-लक्ष्मण की जोड़ी की अगुवाई में वो क्रांति का मशाल जलता रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

टर्न–12/अंजनी/दि0 24.07.2018

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा लाये गये दहेज प्रतिषेध(बिहार संशोधन)(निरसन)विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बिहार के आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार और श्री सुशील मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने सरकार की व्यवस्था के चलाने के साथ–साथ, सरकार के विकास की नीतियों के साथ–साथ सामाजिक कुरीतियों को समाज से मिटाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की महान जनता कल्याणपुर की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ ।

महोदय, दहेज समाज में एक ऐसा दानव के रूप में व्यवस्थित था, आज भी कुछ जगहों पर है, जो समाज को खोखला करता जाता था । बेटी पैदा होना घर में एक अभिशाप के रूप में माना जाता था और खासकर के गरीब परिवारों में अगर चार–पांच–छः–सात बेटियां हो जाती थी तो लगता था कि वह परिवार, वह व्यक्ति जिसको छः–सात बेटी हो गया हो तो वह समाज के सबसे उपेक्षित व्यक्ति के रूप में माना जाता था और उनको हीन और नीच भावना से देखा जाता था लेकिन जब से भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी भी ने कहा कि हमें समाज के इस कुरीति को मिटाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसा नारा देकर समाज में सामाजिक परिवर्त्तन करना चाहिए और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने जो यह कदम उठाया है, वह निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं । हमारी बेटियां समाज की कर्णधार हैं । हमें थोड़ा–थोड़ा याद है कि जब हम बच्चे थे, इंदिरा जी ने भी एक बार इस कानून को लाया था कि दहेज लेने वाले को जेल में बंद कर दिया जायेगा लेकिन यह कानून बना लेकिन कानून समाज में प्रभावी रूप से नहीं आ सका और शायद वह कानून भी समाप्त हो गया, वह कागज में दबा रह गया लेकिन आज जो कानून है, सामाजिक मान्यताओं के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो समाज की कुरीतियां हैं, उसमें समाज को जागरूक करके फिर इस कानून को प्रभावी बनाया जा रहा है, इसके लिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग इस कानून को बना रहे हैं और सामाजिक परिवर्त्तन के लिए इस प्रकार का जो इन्होंने निर्णय लिया है, वे इसके लिए लाख–लाख धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं । हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा, जब हमारी मातृ शक्ति आगे बढ़ेगी । हमारा भारत जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, यह महिलाओं को सम्मान देने का देश है, जहां बेटियों की पूजा की जाती है, हम उसके चरण छूते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसको लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और इस बात को भी मानते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी होगी, उसी घर का विकास होगा, उसी समाज का विकास होगा तो अपनी लक्ष्मी के बचाव के लिए, अपने मातृत्व की रक्षा के लिए, मातृ शक्ति की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्त्तन का काम किया

जा रहा है आदरणीय बिहार के सरकार के द्वारा तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्त्तन होगा और मैं पुनः अपनी ओर से और कल्याणुपर की महान जनता की ओर से एक बार आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए सामाजिक परिवर्त्तन का ताना-बाना बुना है, समाज भी आपके साथ आगे बढ़ रहा है, समाज भी आपको सपोर्ट कर रहा है । आपने भ्रूण हत्या बंद किया, शराबबंदी लागू की, बाल विवाह के प्रथा पर भी आप कठोर हैं लेकिन मैं एक सुझाव जरूर देना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार विधवा विवाह के लिए भी आगे बढ़े । हमारे समाज में, वैसी हमारी बहनें जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, जिनके पति मर जाते हैं और कभी-कभी समाज उन्हें स्वीकृति नहीं देता है तो यह सरकार विधवा विवाह के लिए भी आगे बढ़े । मैं पुनः बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : अध्यक्ष महोदय, दहेज प्रतिषेघ(बिहार संशोधन)(निरसन)विधेयक, 2018 पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। लगता है कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, यह छोटा सत्र जरूर है, लगता है कि आजादी के बाद जितना भी इतिहास हुआ है, चाहे सामाजिक आन्दोलन का हो या जो भी ऐतिहासिक सामाजिक कुरीतियों के खिलफ जो भी लड़े हों, लगता है कि यह सत्र और बिहार का दिन बड़ा गौरवशाली रहा है । आज दहेज प्रथा के खिलाफ में बिहार सरकार का उदारता हुआ है । बिहार सरकार, केन्द्र सरकार की जो अच्छी-अच्छी नीति है, उसको लागू किया जाय, वह बढ़िया बात है । यह बड़ी बात है कि जो अच्छी नीति है, उसको स्वीकार करके जो देश में लागू है, उसको बिहार सरकार ने लागू की, यह एक उदारता का उदाहरण है । साथ-ही इस देश में राजाराम मोहन राय और ऐतिहासिक बड़े-बड़े व्यक्ति का चर्चा हुआ है आजादी से पहले या आजादी के बाद, हमको लगता है कि पहला व्यक्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो राजसत्ता में रहते हुए सामाजिक आन्दोलन को अपना आधार बनाये, मुझे लगता है कि सत्ता का यह पहले करेक्टर है इस देश में। जो लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं और सत्ता में केवल कानून, व्यवस्था और विकास की बात होती थी लेकिन बिहार एक पहला राज्य है, जिस देश में कानून व्यवस्था, सत्ता के बाद जो एक बड़ा बुनियाद है, जो सामाजिक आन्दोलन ही नहीं, सामाजिकता की जो बड़ी मांग है, जो कुरीति है समाज के अन्दर में, उसके खिलाफ में प्रतिबद्ध और मजबूत कानून बना है । दहेज प्रथा, जो बड़ा हमें लगता था कि यह बड़ा राक्षसी रूप ले लिया था समाज में, आज उसपर कानून बना है और कानून के साथ-साथ बिहार सरकार पंचायत, गांव स्तर से लेकर पूरे राजधानी स्तर तक चर्चा किया है । मुझे लगता है कि इसका रूप जब दिखायी पड़ता है, दहेज प्रथा को लोग अब मानते हैं बुराई कि दहेज नहीं लेना चाहिए और दहेज लेंगे तो लोगों को

लोक-लाज भी दिखायी पड़ता है । दहेज लेना आज लोक लाज भी लगने लगा है, दहेज का खिलाफ करना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी बात है । यह आम धाारणा हुआ है । कल बिहार का जो चरित्र पूरा देश में था, लगता था कि यह पूरा बिहार बाहुबली का बिहार है, गुंडों का बिहार है, रोड में गड्ढों का बिहार है । आज सभी क्षेत्र में नजरिया बदला है । चाहे शराबबंदी की बात हो, मुझे लगता है कि गांधी जी के बाद, गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का जो थॉट था, वह पहली बार बिहार में लागू ही नहीं हुआ, बल्कि यह सामाजिक आन्दोलन का भी रूप लिया है, सामाजिक आन्दोलन का, विकास का बड़ा बुनियाद और आधार बना है । हम आभार प्रकट करते हैं बिहार के लोग कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने-वाले समय में बिहार एक नया दिशा निर्देश देगा देश को और इतिहास को भी, एक नया इतिहास का पन्ना जुड़ा है । हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस कानून को और शक्ति से लागू किया जाय और जो सामाजिक जन जागरण है, उसको और मजबूत किया जाय । जो अभी कानून आया है, हम उसका समर्थन करते हैं और खास करके अब बिहार का नजरिया भी बदला है । अब बिहार के बाहर जब भी बिहार के लोग जाते हैं तो बिहारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । जो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, वह बिहार का चेहरा होता है, बिहार का फोकस होता है । आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है, लगता है कि उससे बिहार के हर व्यक्ति का इज्जत और सम्मान बढ़ा है । बिहारियों का मनोबल उंचा हुआ है । खास करके जो हमारे छात्र, जो बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं, उनका भी नजरिया बदला है । उनको लगता है कि शिक्षा बुनियाद है, शिक्षा को मजबूत करेंगे, खेती को मजबूत करेंगे और गांव में भी खेती का कल्चर बदल रहा है । गांव में जो सड़क की व्यवस्था थी, वह बदल रहा है । लोगों को लगता है कि सरकार का जो काम है, उसको सामाजिक आधार से भी जोड़ना चाहिए, सामाजिकता के रूप में देखना चाहिए । हम आने-वाले समय में चाहेंगे कि बिहार में जरूरी है एक आक्रामक्ता की कि ऐसे विरोधियों को मजबूत जवाब देना चाहिए, जिनका जो पिछले दिनों हुड़दंग रहा है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आतंक है चाहे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या निचले स्तर के लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन उंची-उंची बात बोलते हैं, ऐसे लोगों को हमलोगों को भी और सरकार के स्तर पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए । अब वह बिहार नहीं है, यह बिहार लाठी का नहीं है, यह बिहार कलम का है, यह बिहार सामाजिक परिवर्त्तन का है, यह बिहार निष्ठा और ईमानदारी से सत्ता में रहने का है । इन्हीं चंद बातों के साथ हम आभार प्रकट करते हैं और आने-वाले समय में आदरणीय नेता विकास पुरूष, हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आने वाले समय में सुन्दर बिहार, बढ़ता बिहार बने, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

टर्न-13/शंभु/24.07.18

श्री पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, आज दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 पर जो वाद-विवाद चल रहा है । सबसे पहले मैं आसन को धन्यवाद देना चाहती हूँ । साथ ही आज दहेज निरसन विधेयक पर जो बहस हो रही है और इसपर सारे माननीय सदस्यों ने अपना विचार रखा है । माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आज दहेज प्रथा के प्रति जो समाज में, बिहार में महिलाओं के लिए एक विश्वास जगा है- लोग पहले दहेज के कारण हम देखते थे अक्सर गांव और प्रखंड, जिला में कि दहेज के लिए कम उम्र में ही बच्चियों की शादी कर डालते थे और शादी करने के बाद उनके ससुराल वाले के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती थी जिससे कम उम्र में ही वह माँ बन बैठती थी और अनेकों बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था । माननीय अध्यक्ष महोदय आज जो यह बिल लाया गया है बिहार की महिलाओं के हित में, समाज के हित में, गरीब-गुरूबा के हित में यह बिल आया है । हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बिल बहुत पहले आया था - केन्द्र में आज उस बिल को माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो हमारी सरकार ने इनका एक भागीरथी प्रयास 2000 से हम देख रहे हैं कि 2000 में इन्होंने कहा था कि न्याय के साथ विकास- आज इन्होंने पूरे बिहार की महिलाओं के साथ जो बिल लाया है हमें लगता है कि आज उन महिलाओं की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती थी और उन महिलाओं के जो हमारे घर में बेटियों की शादी करते थे तो उनको दहेज के कारण बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता था ससुराल वालों के तरफ से और उनको जिंदा जलाया जाता था, उनको प्रेरित किया जाता था उनको फांसी के फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया जाता था । आज यह बिल सही मायने में सही समय पर जो हमारे नेता का भागीरथी प्रयास रहा है, हमारी सरकार का रहा है वह एक सराहनीय प्रयास है। आज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए नीतीश कुमार जी जो पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है- मेडिकल की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए और स्कूल में भी बच्चे को जो पोशाक दिया जाता है, साइकिल दिया गया है, छात्रवृत्ति दिया गया है, उन बच्चों में जो हौसला आज के दिन हम देख रहे हैं - लगता है कि वह बेटियाँ जरूर पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने जो समय दिया है, मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करती हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

अध्यक्ष : श्रीमती कविता सिंह, संक्षेप में ।

श्रीमती कविता सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आसन का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का, हमारे दल के सचेतक श्री श्रवण कुमार जी का और दरौंदा विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता का जिन्होंने दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ हमें बोलने का मौका दिया । जो कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं उन कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जा

सकता है । इसका बेहतरीन उदाहरण हैं हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज दहेज प्रतिषेध निवारण विधेयक पारित हो रहा है । हम सभी की कामना थी कि यहां पर विपक्ष के लोग भी रहते और ऐसे कानून के पक्ष में अपने सुझाव देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दहेज जैसी कुप्रथा समाज में ऐसे कोढ़ की तरह फैली हुई है जिससे उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक प्रताड़ित हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, बेटियां जब जन्म लेती हैं तो माता पिता के घर में बड़े लाड़-प्यार से पाली पोसी जाती हैं । जब उनकी शादी होती है तो दहेज के लिए उनको तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाकर समस्त समाज को एक विकास की ओर और सभ्य समाज की कामना करते हुए उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को कदम से कदम मिलाकर चलने का समाज में एक नया संदेश दिया है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी शादियां होती थी यह आदिकाल से चला आ रहा है । जब श्री रामचन्द्र जी का विवाह जनकपुरी में हो रहा था और सभी बाराती वहां पर गये हुए थे तो राजा जनक जी, राजा दशरथ के चरणों पर गिर पड़े और कहा कि हमारे पास बेटी के सिवा दान देने के लिए जो भी है, अपने से जो बन पड़ रहा है मैं दे रहा हूँ - तब राजा दशरथ जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है । ऐसा आदिकाल से चला आ रहा था, लेकिन आगे चलकर समाज ने उसको गलत ढंग से पेश किया । मैं अपने दो शब्दों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कितना दर्द छिपा होता है । एक गाना है कि बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपनी बात रख दीजिए ।

श्रीमती कविता सिंह : बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सदन गाने की जगह नहीं है, आप अपनी बात रखिए ।

श्रीमती कविता सिंह : गाना नहीं है, अपने भाव को व्यक्त किया है । जनक राजा देंगे और क्या बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहां इससे बड़ा ।

महोदय, आज इस विधेयक को लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है । दहेज की बलीवेदी पर कितनी बेटियां जलायी जाती है, उनकी हत्या की जाती है, उनको फांसी पर लटकाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है । इस प्रताड़ना को कम करने के लिए, समाज में नयी जागृति लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक को लाया है । हम सभी तहेदिल से इसका समर्थन करते हैं और समाज में इस कुरीति के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, इस विधेयक पर अपना विचार रखेंगी ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी थे और इस सदन में उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी एवं हमारे माननीय सचेतक

आदरणीय श्रवण बाबू एवं तमाम मंत्रियों एवं माननीय सदस्यों की उपस्थिति में यह विधेयक पेश हुआ । मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय सदस्यों को.....क्रमशः।

टर्न–14/अशोक/24.07.2018

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : क्रमशः और तकरीबन 15 माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपना विचार रखे । चूंकि अध्यक्ष महोदय, मैं भी महिला हूँ और दहेज के दर्द को जितना एक महिला समझ सकती है और सही है उतना शायद पुरूष लोगा समझ नहीं पायेंगे, या वो पुरूष समझ पायेंगे जो अपनी बेटियों को शादी कर लिये हैं या करने के कगार पर हैं ।

अध्यक्ष : लेकिन देहज के विरोध में बोलने वाले अधिकांश पुरूष ही थे ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : चूंकि महिलाओं की संख्या ही सर कम है तो पुरूष जो ज्यादा बोलेंगे ही, महिलाओं की संख्या पुरूष की संख्या के अनुपात में कम है तो पुरूष तो ज्यादा बोलेंगे ही सर । क्षेत्र से आवाज उठती है, बिहार से आवाज उठती है कि शायद महिलाओं के हक में जितना माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है शायद बिहार की महिलायें जितना भी धन्यवाद इनको दे, कम पड़ जायेगा । सर भगवान का दिया हुआ कहिये या प्राकृतिक प्रदत्त कहिये, या इश्वर, अल्लाह का दिया हुआ कहिये, प्रकृति ने पुरूष और महिला की संख्या लगभग बराबर किया है हो सकता है कि किसी घर में पुरूष की संख्या ज्यादा हो या किसी घर में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो । लेकिन लगभग प्रकृति का दिया हुआ यह जो संख्या है यह बराबर है लेकिन यह दहेज के अभिशाप के चलते निश्चित रूप से हमारी बेटियां, हमारे महिलायें सदियों से सताई जा रही है, पुराने जमाने में राजा–महाराजाओं के घर में दहेज की प्रथा थी, लोग अपने खुशी से अपने बच्चियों को सौगात के रूप में सामान देत थे, सोने–जवरात देते थे, हीरे–मोती देते थे । लेकिन यह एक नियम बन गया था और राजा महाराजाओं के घर से उतर कर यह जमींदारों के घर में आ गया और वहां से ऊतर कर यह नौकरी–पेशा वालों के घर में आ गया और उसके बाद यह दहेज रूपी दानव आम–आवाम में सर छा गया और आव–आवाम बच्चियों के जन्म लेते ही सोचने लगते थे इसकी शादी कैसे करेंगे, जन्म तो लक्ष्मी ली है मेकरे घर में लेकिन इसकी शादी कैसे करेंगे । और उससे उत्पन्न हुआ भ्रूण हत्या, सर सोचिये जो जन्म ही नही ली है, जो मां के गर्भ में है, घर के लोगों के दवाब से एक मां नहीं चाहती है कि हम अपने उस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दे जो बच्चा गर्भ में पल रहा है लेकिन घर के लोगों के दवाब में न चाहते हुये उस बच्चों का भ्रूण हत्या कराया जाता था, इन सब बातों को

लेकर के समाज में हाहाकार मची और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर सोचे, विचार किये और बच्चों के हित में तरह-तरह की योजनायें चलाये ताकि मेरी बेटियां जब पढ़-लिख लेगी, अपने हक एवं अधिकार को समझने लगेगी और उसके लिये लड़ाई करेगी और पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा सर यह है कि जब बेटियां पढ़-लिख लेती है तो अपने परिवार पर भी अंकुश लगाती है, वह अधिक बच्चा नहीं जनना चाहती है, और जब परिवार पर अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो आज बेरोजगारी है या तरह-तरह की समस्यायें वह दूर होगी तो निश्चित रूप से पढ़ाने के लिए, बेटियों को सशक्त बनाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाया, ये योजनायें थीं पोशाक राशि योजना, वह योजना थी कन्या सुरक्षा योजना वह योजना साईकिल राशि योजना और हद तो तब हो गई कि माननीय मुख्यमत्री जी ने हमारे बेटियों को नौकरियों के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण दिया और उसके बाद 3 अगस्त हो शुरू होने जा रही है कन्या उत्थान योजना, इस योजना का आशय है कि जब हमारी बेटियां जन्म लेगी तो जन्म लेते ही 2 हजार रूपया उसके मां के खाते में जायेगा, उसके बाद उसके लालन-पालन के लिए भी पैसा मिलेगा, जब उसका टीकाकरण होगा तो उस समय पैसा मिलेगा, जब वह पांचवी क्लास जायेगी तो पोशाक राशि के रूप में पैसा मिलेगा, जब नवम् वर्ग में जायगी तो साईकिल के रूप में पैसा मिलेगा और आगे जब वह टेंथ करेगी तब पैसा मिलेगा और जब वह ट्वेल्वथ करेगी तब पैसा मिलेगा और जब वह ग्रेजुएशन करेगी, जब ग्रेजुएशन पास करेगी तो 25 हजार रूपया मिलेगा यानी एक बेटी को कुल मिलाकर 54 हजार 100 रूपया मिलेगा, यह बेटियों के प्रति लगाव माननीय मुख्यमंत्री का झलक रहा है, जिससे तमाम बिहार की बेटियां, बिहार की महिलायें धन्यवाद दे रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को । शराब बंदी योजना है, यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, अच्छी-अच्छी परिवार की महिलायें शाम में जब मार्केट में निकलती थी तो शराबियों से जझती रहती थी, अंटशंट तानों से सामना करना पड़ता था तो एक महिलाओं के पुकार पर ही जब ये श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में थे और भाषण दे रहे थे, जब भाषण देकर बैठे तो महिलाओं का पुकार हुआ कि माननीय मुख्यमत्री जी शराबबंदी करवाइये, साधारण घर के महिलाओं के पुकार पर इन्होंने शराबबन्दी कानून लाया, इतना सशक्त कानून बनाया जिसके चलते कुछ लोग विचलित भी हुये और सरकार ने महसूस किया कि बहुत ज्यादा कड़ा कानून है तो उसके सुधार का भी विधेयक लाया गया । ये जो कानून है, चूंकि केन्द्र सरकार का जा कानून था दहेज लोभियों के विरूद्ध कड़ा कानून था, बिहार सरकार ने महसूस किया कि केन्द्र का जो कानून है वह बेहतर है, इसलिये उसी कानून को हम लागू करे । अतः यह विधेयक मैं रखी और यह सदन से पास हुआ, मैं सदन के तमाम

सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यह बिल पास हुआ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सामाजिक चिन्ता से जुड़े इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई, अब हम सदन के समक्ष इसे मतदान हेतु प्रस्तुत करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018"

अध्यक्ष : अब "बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018" लिये जायेंगे । माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री पशुपति कुमार पारस, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई । प्रभारी मंत्री ।

श्री पशुपति कुमार पारस, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री पशुपति कुमार पारस, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब खण्डशः लेता हूँ ।

खंड-2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है किः

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-15/ज्योति/24-07-2018

अध्यक्ष : खण्ड-3 में दो संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य -अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रस्तावना में दो संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य- अनुपस्थित)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री पशुपति कुमार पारस, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य नहीं बोल रहे हैं तो माननीय मंत्री जी आप ही बतला दीजिये ।

श्री पशुपति कुमार पारस, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एक मंत्रिमंडल की एक छोटी कमिटी बनी थी बिहार में जलकरों के संबंध में । बिहार में पहले जो बंदोवस्त होता था 7 वर्षों के लिए होता था पटना में, उसी के संबंध में हुआ और कोऑपरेटिव सोसायटी और मछुआ सोसायटी का चुनाव होता था पाँच वर्षों के लिए वर्तमान में जलकरों की बंदोवस्ती 7 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता था इसको पाँच वर्ष के लिए कर दिया गया है । मैं आग्रह करता हूँ सदन से कि इस विधेयक को स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के संबंध में सरकार का वक्तव्य होगा । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

<u>सरकार का वक्तव्य</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार-बार इस सवाल को उठाया जा रहा है, सदन से बाहर भी इस मामले को उठाया जा रहा है और सरकार को इस गंभीर मसले पर सदन में जवाब देने के लिये आसन से भी निर्देश हुआ महोदय । आसन के निर्देश का सरकार पालन करती है । इस समय अच्छा होता कि विपक्ष के लोग भी रहते जो यह सवाल उठा रहे हैं । लेकिन उनको इन सवालों से मतलब नहीं है महोदय । केवल राजनीति करना चाहते हैं । क्रमश :

टर्न–16 /विपिन/24.07.2018

क्रमशः

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनाथ, बेसहारा, सड़क पर रहने वाले बच्चे एवं बाल मजदूरी अथवा मानव व्यापार से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए विभिन्न जिलों में **06-18** आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं हेतु बाल गृह संचालित किये जा रहे हैं। इन बाल गृहों का संचालन राज्य सरकार द्वारा स्वयं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। बाल गृहों के संचालन हेतु सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को कुल निर्धारित बजट का **90** प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रकाशित कर किया जाता है। मुजफ्फरपुर जिले में बालिका गृह के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' के साथ **24** अक्टूबर **2013** को एकरारनामा किया गया था तथा जिले में इसका संचालन **01** नवम्बर **2013** से किया जा रहा था।

उक्त बाल गृहों में बच्चों के देखरेख एवं सुरक्षा की स्थिति, गृह प्रबंधन एवं नियमों के अनुपालन की वस्तुस्थिति जानने हेतु तथा अनियमितताएँ पाये जाने पर सुधारात्मक कदम उठाये जाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी बाल गृहों सहित सभी आवासीय सुविधाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया गया। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा सके इसके लिए टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, मुम्बई की कोशिश टीम का चयन किया गया। विभागीय आदेश पत्रांक-**1021**, दिनांक-**30.06.2017** के आलोक में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, मुम्बई की कोशिश टीम द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी बाल देखरेख संस्थानों का सामाजिक अंकेक्षण कर दिनांक- **27.04.2018** को सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभाग के द्वारा TISS के अधिकारियों के साथ प्रतिवेदन में वर्णित सभी बिन्दुओं का गहन अध्ययन किया गया। TISS की टीम द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' द्वारा मुजफ्फरपुर में संचालित बालिका गृह में आवासित बालिकाओं के विरूद्ध घटित यौन हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की घटनाओं का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त गया, मुंगेर, भागलपुर एवं मोतिहारी में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृहों में बच्चों के साथ मारपीट एवं हिंसा की घटनाओं का उल्लेख किया गया था। मामलों की गंभीरता को देखते हुए TISS के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई गई ताकि कार्रवाई सटीक एवं कारगर हो सके। इस रणनीति के तहत दिनांक-**26.05.2018** को विभाग द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी (नोडल ऑफिसर) को पटना में बुलाकर उक्त सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ दी गयी। दिनभर चली इस बैठक में 'TISS की टीम' के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। मामलों की गोपनीयता बरतते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस संबंध में विशेषकर अब तक निम्न कार्रवाईयाँ की गयी है :-

1. समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक- **431**, दिनांक- **29.05.2018** के द्वारा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर को बालिका गृह में आवासित सभी **44** बालिकाओं को सुरक्षा हेतु स्वयंसेवी संस्था 'मोकामा नाजरथ हास्पिटल सोसायटी' द्वारा संचालित बालिका गृह, मोकामा (**14** बालिकाएँ), 'मशाल' द्वारा संचालित बालिका गृह, पटना (**16** बालिकाएँ) तथा विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को परिहार सेवा संस्थान द्वारा संचालित बालिका गृह, मधुबनी (**14** बालिकाएँ) में तत्काल स्थानांतरित करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

2. उक्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक- **369,** दिनांक- **30.05.2018** को महिला थाना मुजफ्फरपुर में किशोर न्याय अधिनियम, **2015** एवं पोक्सो एक्ट, **2012** की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में महिला थाना मुजफ्फरपुर में दिनांक-**31.05.2018** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **120(B)/376/34** एवं पोक्सो अधिनियम,**2012** की धारा **4, 6, 8, 10** एवं **12** के तहत काण्ड संख्या **33/18** दर्ज की गई है।

3. दिनाक–02.06.2018 को बालिकाओं का द0प्र0सं0 की धारा–161 के अन्तर्गत बयान लिया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा मुजफ्फरपुर के संचालक ब्रजेश ठाकुर एवं बालिका गृह कर्मियों द्वारा मानसिक, शारिरिक एवं यौन शोषण की बात बताई गई।

4. दिनांक–03.06.2018 को 08 अप्राथमिकी अभियुक्तों 1. ब्रजेश ठाकुर (संचालक/मुख्य कार्यकारी) 2. किरण कुमारी 3. मीनू देवी 4. मंजू देवी 5. इन्दू कुमारी 6. चन्दा देवी 7. नेहा कुमारी 8. हेमा मसीह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिनांक–04.06.18 को पटना में रखी गई 08 बालिकाओं का माननीय न्यायालय में द0प्र0सं0 की धारा–164 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया जिसमें पिड़िता द्वारा विकास कुमार के विरूद्ध यौन शोषण की बात बताई गई। दिनांक–05.06.2018 को CWC के सदस्य विकास कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक–06.06.2018 को निशांन्त बालिका गृह गाय घाट, पटना में रखी गई बालिका का बयान द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत कराया गया। दिनांक–07.06.2018 एवं 08.06.2018 को निशान्त बालिका गृह गाय घाट, पटना में रह रही बालिकाओं का मेडिकल जांच कराया गया।

5. दिनांक–14.06.2018 को नाजरत सोसायटी बलिका गृह मोकामा में रह रहें 14 बालिकाओं को दं0प्र0स0 की धारा–164 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया जिसमें रवि कुमार रौशन सी0पी0ओ0 द्वारा यौन उत्पीड़न करने की बात बतायी गयी। दिनांक 19.06.2018 को 13 पीड़िताओं का पी0एम0सी0एच0 पटना में मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच करायी गयी। दिनांक 24.06.2018 को रवि कुमार रौशन सी0पी0ओ0 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 25.06.2018 को आशा किरण, मशाल बालिका गृह की 08 बालिकाओं का मेडिकल जांच कराया जाय। दिनांक 28.06.2018 को माननीय न्यायालय में एक पीड़िता ने सी0डब्लू0सी0 के अध्यक्ष दिलिप कुमार वर्मा एंव विकास कुमार सदस्य का फोटो पहचाना।

6. अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा–341/342/323/326/354ए/354बी/376/120बी/504/506/34 आई0पी0सी0 एवं 4/6/8/10/12 पोक्सो एक्ट तथा 75 एवं 85 जे0जे0 एक्ट 2015 के अन्तर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त 1. ब्रजेश कुमार ठाकुर (संचालक/मुख्य कार्यकारी) 2. विकास कुमार 3. रवि कुमार रौशन सी0पी0ओ0 4. मीनू देवी, गृह माता 5. मंजू देवी, परामर्शी 6. इन्दू कुमारी 7. चन्दा देवी 8. नेहा कुमारी 9. हेमा मसीह 10. चन्दा देवी, गृह माता 11. तथा दिलीप कुमार वर्मा, अध्यक्ष के विरूद्ध सत्य पाया गया।

7. उपरोक्त अभियुक्तों में से 10 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फिरार अभियुक्त दिलीप कुमार वर्मा की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है तथा इनके विरूद्ध कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जा रही है। 44 बालिकाओं में से 42 बालिकाओं का मेडिकल जांच कराया गया। दो के अस्वस्थ्य होने के कारण इनकी जांच नहीं करायी जा सकी। 13 बालिकाओं के मेंडिकल रिपोर्ट में "Sexual Intercourse might have been committed" तथा 16 बालिकाओं के मामले में "Possibility of sexual contact cannot be ruled out" प्राप्त हुए।

8. 03 तीन पीड़िताओं द्वारा एक लड़की को मारकर टंकी के पीछे दफन करने से संबंधित ब्यान का सत्यापन के लिए माननीय न्यायालय के आदेश से डेड बॉडी खोजने हेतु दिनांक 23.07.2018 को खुदाई की गयी। किन्दु कोई डेड बॉडी प्राप्त नही हुआ। शरीर का अवशेष नहीं पाये जाने पर डॉग स्कॉर्ड की टीम बुलाई गयी तथा विधि–विज्ञान प्रयोगशाला में मिट्टी जांच हेतु भेजी गयी।

9. अनुसंधान के क्रम में वर्ष 2013 से अद्यतन बालिका गृह के अभिलेखों की छान–बीन करने पर पता चला कि 04 लड़कियाँ बालिका गृह से फिरार है जो माह नवम्बर/दिसम्बर 2013 में बालिका गृह में आयी थी और माह दिसम्बर 2013 में ही फिरार दिखायी गयी। पुलिस द्वारा इस तथ्य का सत्यापन किया जा रहा है।

10. एक बालिका जो दिनांक 28.03.2018 को बालिका गृह में आयी थी के डिस्चार्ज की तिथि अभिलेखों में अंकित नहीं है। अनुसंधान में इसका पता लगा लिया गया है। ये मुजफ्फरपुर जिले में ही विवाह के उपरान्त अपने ससुराल में उपलब्ध है। तीन बालिकाओं के बारे में मृत होने की प्रविष्टियाँ बालिका गृह के अभिलेखों में की गयी है। जिसमें एक की तिथि 2015 एवं दो की तिथि 2017 है। इनका सत्यापन किया जा रहा है।

11. बालिका गृह, मुजफ्फरपुर को दिनांक- **31.05.2018** के प्रभाव से बंद कर दिया गया है एवं संस्था को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

12. बालिका गृह, मुजफ्फरपुर से स्थानातंरित बालिकाओं को मोकामा स्थित बालिका गृह में **06**-सदस्यीय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा मनोचिकित्सीय थेरेपी एवं काउन्सिलिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञों की टीम में बैंगलुरू की संस्था "Enfold" एवं "Parivartan" तथा AIIMS, New Delhi से मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शी शामिल हैं जिन्हें यौन शोषन से पीड़ित बच्चियों को थेरेपी प्रदान करने का विशेष अनुभव है।

13. उक्त मामले में लापरवाही बरतने एवं कर्तव्यहीनता के आरोप में जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर की पूर्व सहायक निदेशक, श्रीमती रोजी रानी को निलंबित कर दिया गया है तथा वर्तमान सहायक निदेशक, श्री दिवेश कुमार शर्मा एवं पूर्व सहायक निदेशक, श्रीमती रोजी रानी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

14. स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में संचालित अल्पावास गृह में आवासित सभी **16** महिलाओं को महिला विकास निगम के निदेश से ज्ञापांक-**933,** दिनांक-**09.06.2018** द्वारा अल्पावास गृह, बेगूसराय में स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही उक्त अल्पावास गृह को बंद करते हुए संस्था को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

15. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के अन्तर्गत पटना जिला में महिला अल्पावास गृह-सह-वर्गीकरण केन्द्र के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' का चयन किया गया था, परन्तु सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित घटना के आलोक में केन्द्र का संचालन ज्ञापांक-**1023,** दिनांक-**08.06.2018** द्वारा तत्काल स्थगित कर दिया गया है।

16. TISS के जांच प्रतिवदेन में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मोतिहारी एवं मुंगेर में संचालित गृहों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। मोतिहारी में संचालित Boys children homes निर्देश संस्था द्वारा संचालित थी। गृह में रह रहे लड़कों के द्वारा गृह संचालक के साथ मार–पीट किये जाने तथा यौन शोषण की बात बतायी गई। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग तथा अपराध अनुसंधान विभाग के आदेशानुसार छतौनी (मोतिहारी) थाना कांड सं0139/2018 दि0 02.06.2018 धारा– 82 जे.जे. एक्ट एवं 8 पौक्सो एक्ट दर्ज किया गया। कांड में पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 निर्गत है। गृह पिता श्याम बाबु सिंह को गृह से निष्कासित कर दिया गया है। उनके विरूद्ध कांड को सत्य पाया गया है। उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

17. Boys children homes भागलपुर रूपम प्रगति समाज समिति द्वारा संचालित थी। बच्चों के साथ जॉच के कम में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में भागलपुर औद्योगिक थाना कांड सं0 96/2018 दि0 18.7.2018 धारा– 75/85 जे0जे0एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है। जिन कर्मियों के विरूद्ध बच्चों द्वारा शिकायत की गई थी उन्हें गृह से हटाया जा चुका है।

18. मुंगेर Boys children homes पनाह संस्था द्वारा संचालित थी। बच्चों के द्वारा जबरन कार्य कराने, खाना बनाने, सफाई कराने आदि का आरोप लगाया गय था। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग एवं अपराध अनुसंधन विभाग के निर्देश के आलोक में कोतवाली मुंगेर थाना कांड सं0 272/2018 दि0 23.07.2018 धरा 82(1)/92 जे0जे0एक्ट दर्ज किया गया है।

19. गया जिला Boys children home गया DORD द्वारा संचालित है। बच्चों को हमेशा ताला बंद कर रखने तथा महिला स्टाफ द्वारा बच्चों से जबरन कार्य कराने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

20. मुजफ्फरपुर में दि0 31.05.2018 को प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात दिनांक 04.06.2018 को अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा वरीय पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती ममता कल्याणी के नेतृत्व में तीन महिला पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए विशेष अनुसंधान दल का गठन कर पटना, मोकामा एवं मुज्फ्फरपुर जाकर कांड के अनुसंधान में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ–साथ विस्तृत जांच प्रतिवेदन दि0 05.06.2018 एवं 22.06.2018 को समर्पित किया है, जिसके आलोक में विस्तृत एडभाईजरी अनुसंधान हेतु निर्गत की गई है। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कांड के अनुसंधान एवं कार्रवाई की क्लोज मोनिटरिंग की जा रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के जॉच दल को घटनास्थल पर भेज कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए निम्न कार्रवाई की जा रही है:-

1. सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में इंगित बिंदुओं पर कृत सुधारात्मक कार्रवाई की समीक्षा पुन: विशेषज्ञों की टीम से कराई जायेगी ताकि कोई कमी न रह जाये।
2. ऐसे सामाजिक अंकेक्षण एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की स्थाई व्यवस्था हेतु मानक प्रक्रिया एवं मानक मापदंड UNICEF एवं TISS के सहयोग से विकसित की जा रही है।
3. सभी आवासीय सुविधाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए निदेश निर्गत किया गया है जिसमें बालिका/बाल गृहों में Transgender समुदाय को भी नियुक्ति करने का निदेश है।

टर्न : 17/कृष्ण/24.07.2018

अध्यक्ष : वक्तव्य समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण,

आज दिनांक 24 जुलाई 2018 को स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 51 (इक्यावन) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 25 जुलाई, 2018 को 9.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।